25

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2021-22)

सत्रहवीं लोक सभा

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
(उर्वरक विभाग)

[रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभग) की "अनुदानों की मांगों (2021-22) के संबंध में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के बीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/ सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई]

पच्चीसवां प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

दिसंबर, 2021/ अग्रहायण, 1943 (शक)

पच्चीसवां प्रतिवेदन

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति
(2021-22)

(सत्रहवीं लोक सभा)

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
(उर्वरक विभाग)

[रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2021-22)'' के संबंध में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के बीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/ सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई]

02.12.2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया
02.12.2021 को राज्य सभा पटल पर रखा गया

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

दिसंबर, 2021/ अग्रहायण, 1943 (शक)

विषय सूची

		पृष्ठ
समिति की संरचना (2020-21)		(iv)
समिति की संरचना (2021-22)		(v)
प्राक्कथन		(vi)
अध्याय –एक	प्रतिवेदन	
अध्याय –दो	टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है	
अध्याय –तीन	टिप्पणियां/सिफ़ारिशें, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे की कार्रवाई नहीं करना चाहती	
अध्याय –चार	टिप्पणियां/सिफ़ारिशें, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं	
अध्याय –पांच	टिप्पणियां/सिफ़ारिशें, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं	

परिशिष्ट

एक	16.11.2021 को आयोजित रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की बैठक का कार्यवाही सारांश
दो	रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) से संबंधित रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति की अनुदान मांगों 2021-22 के बीसवें प्रतिवेदन (17वीं लोकसभा) में अंतर्विष्ट सिफ़ारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2020-21) की संरचना

श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री एम .बदरुद्दीन अज़मल
3. श्री दीपक बैज
4. श्री रमाकान्त भार्गव
5. श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर
6. श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमा
7. श्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनागि
8. श्री पकौड़ी लाल
9. श्री कृपानाथ मल्लाह
10. श्री सत्यदेव पचौरी
11. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
12. डॉ .एम .के .विष्णु प्रसाद
13. श्री अतुल कुमार सिंह ऊर्फ अतुल राय
14. श्री अरुण कुमार सागर
15. श्री एम .सेल्वराज
16. श्री प्रदीप कुमार सिंह
17. श्री उदय प्रताप सिंह
18. श्री इंद्रा हांग सुब्बा
19. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा
20. डॉ .संजीव कुमार शिंगरी[#]
21. रिक्त[*]

राज्य सभा

22. श्री जी.सी .चन्द्रशेखर
23. डॉ .अनिल जैन
24. श्री अहमद अशफाक करीम
25. श्री एम.वी .श्रेयम्स कुमार
26. श्री जयप्रकाश निषाद
27. श्री अंतियुर पी. सेल्वरासू
28. श्री अरूण सिंह[$]
29. श्री ए.डी .सिंह
30. श्री विजय पाल सिंह तोमर
31. श्री के .वेंलेल्वना

सचिवालय

1. श्री मनोज कुमार अरोड़ा - विशेष कार्य अधिकारी
2. श्री नवीन कुमार झा - निदेशक
3. श्री सी .कल्याणसुन्दरम - अपर निदेशक
4. श्री पन्नालाल - अवर सचिव
5. श्री पी. आर. शिव प्रसाद - सहायक कार्यकारी अधिकारी

[$]दिनांक 23.12.2020 से समिति हेतु पुन: नामनिर्देशित।

[#]श्री नंदीग्राम सुरेश के स्थान पर दिनांक 28.12.2020 से समिति में नामनिर्देशित ।

*इंजीनियर विश्वेश्वर टुडु के दिनांक 07.07.2021 को राज्य मंत्री चुने जाने के कारण रिक्त।

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की संरचना

श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री दिव्येन्दु अधिकारी
3. मौलाना बदरुद्दीन अजमल
4. श्री दीपक बैज
5. श्री रमाकान्त भार्गव
6. श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर
7. श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमा
8. श्री संजय शामराव धोत्रे
9. श्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनागि
10. श्री कृपानाथ मल्लाह
11. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा
12. श्री सत्यदेव पचौरी
13. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
14. डॉ. एम.के. विष्णु प्रसाद
15. श्री अरुण कुमार सागर
16. श्री एम. सेल्वराज
17. डॉ. संजीव कुमार शिंगरी
18. श्री अतुल कुमार सिंह
19. श्री प्रदीप कुमार सिंह
20. श्री उदय प्रताप सिंह
21. श्री इंद्रा हांग सुब्बा

राज्य सभा

22. श्री अयोध्या रामी रेड्डी आला
23. श्री जी.सी. चन्द्रशेखर
24. डॉ. अनिल जैन
25. श्री एम.वी. श्रेयम्स कुमार
26. श्री जयप्रकाश निषाद
27. श्री अंतियुर पी. सेल्वरासू
28. श्री अरूण सिंह
29. श्री विजय पाल सिंह तोमर
30. श्री के. वेंलेल्वना
31. रिक्त

सचिवालय

1. श्री नवीन कुमार झा - निदेशक
2. श्री सी .कल्याणसुन्दरम - अपर निदेशक
3. श्री पन्नालाल - अवर सचिव
4. श्री पी. आर. शिव प्रसाद - सहायक कार्यकारी अधिकारी

प्राक्कथन

मैं, रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की सभापति, समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2021-22)' के संबंध में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के बीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोकसभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों / सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में यह पच्चीसवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) प्रस्तुत करती हूं।

2. बीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोकसभा) को 17 मार्च, 2021 को लोक सभा में पेश किया गया और राज्य सभा के पटल पर रखा गया। इस प्रतिवेदन में अतंर्विष्ट सभी टिप्पणियों/ सिफारिशों के संबंध में सरकार के की-गई-कार्रवाई उत्तर दिनांक 23.07.2021 को प्राप्त हुए। रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2021-22) ने दिनांक 16.11.2021 को हुई अपनी बैठक में इस प्रारूप प्रतिवेदन को विचारोपरान्त स्वीकार किया।

3. समिति के बीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोकसभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों / सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण **परिशिष्ट –दो** में दिया गया है।

4. संदर्भ और सुविधा के लिए, समिति की आगे की टिप्पणियाँ प्रतिवेदन के **अध्याय - एक** में मोटे अक्षरों में मुद्रित की गई हैं।

नई दिल्ली;
16 नवम्बर, 2021
25 कार्तिका**, 1943 (शक)**

कनिमोझी करुणानिधि
सभापति,
रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति

प्रतिवेदन

अध्याय I

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2021-22) का यह प्रतिवेदन रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) की अनुदानों की मांगों (2021-22) पर रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के बीसवें प्रतिवेदन (17वीं लोकसभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित है जिसे 17.3.2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया और राज्य सभा के पटल पर रखा गया था। कुल मिलाकर, समिति ने रिपोर्ट में 14 टिप्पणियां/सिफारिशें की हैं।

1.2 रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) से अनुरोध किया गया था कि वे बीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर रिपोर्ट की प्रस्तुति की तारीख से तीन महीने के भीतर यानी 17.06.2021 तक की गई कार्रवाई के जवाब प्रस्तुत करें। उन सभी 14 प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट टिप्पणियां/सिफारिशों के संबंध में सरकार की गई कार्रवाई उत्तर रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) से उनके कार्यालय ज्ञापन सं.14(5)/2021-वित्त-I दिनांक 23.07.2021 के तहत प्राप्त हुई थीं। इन उत्तरों की जांच की गई है और उन्हें निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:-

(i) टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है:-

सिफ़ा. सं. 1, 9, 11 और 12 (कुल = 4)

प्रतिवेदन के अध्याय-दो में अंतर्विष्ट

(ii) टिप्पणियां/सिफ़ारिशें, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुये आगे की कार्रवाई नहीं करना चाहती:-

सिफ़ा. सं. शून्य. (कुल =शून्य)

प्रतिवेदन के अध्याय-तीन में अंतर्विष्ट

(iii) टिप्पणियां/सिफ़ारिशें, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं:-

सिफ़ा. सं. 2 और 13 (कुल = 2)

प्रतिवेदन के अध्याय-चार में अंतर्विष्ट

(iv) टिप्पणियां/सिफ़ारिशें, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुये हैं -

सिफ़ा. सं. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 और 14 (कुल =8)

प्रतिवेदन के अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट

1.3 समिति चाहती है कि इस रिपोर्ट के अध्याय-I और अध्याय-V में अंतर्विष्ट आगे की टिप्पणियों/सिफारिशों पर की गई कार्रवाई टिप्पणियों को प्रतिवेदन **की प्रस्तुति की तारीख से तीन महीने के भीतर शीघ्रता से प्रस्तुत किया जाए।**

1.4 समिति अब सरकार द्वारा उनकी कुछ टिप्पणियों/सिफारिशों पर की गई कार्रवाई पर विचार करेगी, जिन्हें दोहराए जाने की अथवा सार्थक टिप्पणी की आवश्यकता है।

सिफ़ारिश सं. 1

<u>उर्वरक विभाग को संशोधित अनुमान 2020-21 में अतिरिक्त बजटीय आवंटन</u>

1.5 वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंत तक विभाग की सब्सिडी योजनाओं की कैरीओवर देनदारियों का भुगतान करने के लिए 2020-21 के संपूर्ण आरई आवंटन का तेजी से उपयोग करने की आवश्यकता पर बल देते हुए समिति ने निम्नानुसार सिफारिश की:-

"समिति को यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि बजटीय आबंटन को बीई चरण में आवंटित 73939.00 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2020-21 के आरई चरण में 138537.30 करोड़ रुपये कर दिया गया था, ताकि यूरिया और पी एंड के उर्वरक राजसहायताओं दोनों के संबंध में अग्रनीत देनदारियों का भुगतान पूरी तरह से किया जा सके। उर्वरक विभाग से संबंधित अनुदान की मांगों 2019-20 और 2020-21 की रिपोर्टों में समिति ने अपर्याप्त बजटीय आवंटन के कारण उर्वरक राजसहायताओं की अग्रनीत देनदारियों को पूरा करने की आवश्यकता पर पूरा जोर दिया । इस संबंध में समिति ने सिफारिश की थी कि यूरिया और पी एंड के उर्वरकों दोनों पर राजसहायता के पूरे बकाए का वितरण करने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा अतिरिक्त बजटीय आवंटन किया जाए। तदनुसार, वित्त मंत्रालय ने यूरिया राजसहायता और पोषक तत्व आधारित राजसहायता (एनबीएस) दोनों पर समस्त खर्च को पूरा करने के लिए बीई चरण में आवंटित 73939.00 करोड़ रुपये के अलावा 2020-21 के आरई चरण में 64598.30 करोड़ रुपये आवंटित किए। समिति को आशा है कि निधियों के इस अतिरिक्त आवंटन से उर्वरक विभाग को यूरिया राजसहायता और एनबीएस राजसहायता के साथ-साथ सिटी कंपोस्ट के

लिए बाजार विकास सहायता (एमडीए) की अग्रनीत देनदारियों का भुगतान करने में सक्षम बनाया जाएगा । उर्वरक विभाग के अनुसार स्वदेशी पीएंडके और सिटी कंपोस्ट के संबंध में अग्रनीत देनदारियों को पूरी तरह से पूरा किया जा रहा है और आयातित पीएंडके के संबंध में 102.76 करोड़ रुपये की राशि की शेष अग्रनीत देनदारियों को पूरा करना ही शेष बचा है और मार्च-2021 तक इसका उपयोग कर लिए जाने की उम्मीद है। यूरिया राजसहायता के संबंध में विभाग द्वारा यह कहा गया है कि आयातित यूरिया की अग्रनीत देनदारियां 561.63 करोड़ रुपये हैं और स्वदेशी यूरिया के संबंध में यह शून्य है। तथापि, समिति नोट करती है कि स्वदेशी और आयातित यूरिया राजसहायता के लिए आरई चरण में आवंटित 99547.42 करोड़ रुपये में से उर्वरक विभाग द्वारा 22 जनवरी, 2021 तक केवल 60189.73 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया है। जहां तक स्वदेशी और आयातित पी एंड के उर्वरकों के लिए आवंटन का संबंध है, 2021-22 के आरई चरण में आबंटित 38916.90 करोड़ रुपये में से 22 जनवरी, 2021 तक केवल 17925.72 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। सिटी कंपोस्ट के लिए एमडीए के संबंध में 72.98 करोड़ रुपये के बढ़े हुए आरई आवंटन में से 22.01.2021 तक केवल 29 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। पिछले वर्षों के दौरान विभाग इस संबंध में आवंटन में कमी को लेकर वित्त मंत्रालय की ओर इशारा कर रहा था जिससे अग्रनीत देनदारियां एकत्रित हुई। चूंकि वित्त मंत्रालय द्वारा 2020-21 के आरई चरण में बजटीय आवंटन की अपेक्षित राशि का भुगतान किया गया है, इसलिए समिति उम्मीद करती है कि विभाग 2020-21 के पूर्ण आरई आवंटन का उपयोग करने के लिए तेजी से कार्य करेगा ताकि 2020-21 के अंत तक विभाग की राजसहायता योजनाओं की अग्रनीत देनदारियों का भुगतान किया जा सके। स्वदेशी और आयातित यूरिया राजसहायता, स्वदेशी और आयातित पी एंड के उर्वरक राजसहायता और सिटी कंपोस्ट पर एमडीए के वितरण के लिए आरई 2020-21 में आवंटित धनराशि के उपयोग के बारे में पूरी जानकारी और उनमें से प्रत्येक पर अग्रनीत देनदारियों की स्थिति भी समिति को बतायी जानी चाहिए।"

सरकार का उत्तर

1.6 रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग ने समिति की उपर्युक्त सिफारिशों के जवाब में की गई कार्रवाई संबंधी उत्तर में निम्नानुसार कहा है:-

> "उर्वरक कंपनियों के सब्सिडी/डीबीटी दावों का निपटान निधियों की उपलब्धता के अधीन नियमित रूप से किया जा रहा है। आरई 2020-21 में आवंटित धन के उपयोग और स्वदेशी यूरिया में कैरीओवर देयता (2019-20) की स्थिति के बारे में पूरी जानकारी का विवरण निम्नानुसार है:

निधियों की स्थिति 2020-21			कैरीओवर देनदारियों की स्थिति		
बीई	आरई	व्यय	01.04.2020 को कैरीओवर देयता	2020-21 के दौरान भुगतान किया गया कैरीओवर देयता	31.03.2021 को शेष कैरीओवर देनदारियां
38375.00	74487.80	68807.41	32154.87	32154.87	शून्य

अन्य योजनाएं:

स्वदेशी और आयातित यूरिया सब्सिडी, स्वदेशी और आयातित पीएण्डके उर्वरक सब्सिडी और सिटी कम्पोस्ट पर एमडीए के वितरण के लिए आरई **2020-21** में आवंटित धन के उपयोग के बारे में पूरी जानकारी और उनमें से प्रत्येक पर देनदारियों को आगे बढ़ाने की स्थिति नीचे दी गई है;

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	**योजना**	**आरई 2020-21**	**उपयोग**	**शेष**	**01.04.2021 को कैरी-ओवर देनदारियां**
1	**2**	**3**	**4**	**5=3-4**	**6**
1	आयातित यूरिया	25049.62	25049.62	0	546.98
2	स्वदेशी पीएंडके	23901.53	22288.37	1613.16	0.85*
3	आयातित पीएंडके	15015.37	15015.37	0	479.21
4	सिटी कम्पोस्ट	72.98	68.74	4.24	0.25*
कुल		**64039.5**	**62422.1**	**1617.4**	**1027.29**

* देशी पीएण्डके और सिटी कम्पोस्ट के संबंध में कैरीओवर देनदारियां वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन प्राप्त दावों के कारण हैं।"

समिति की आगे की टिप्पणी

1.7 समिति इस बात से संतुष्ट है कि स्वदेशी यूरिया के संबंध में देनदारियों को पूरी तरह से विभाग द्वारा पूरा कर लिया गया है और इस प्रकार 01 अप्रैल, 2021 तक शेष राशि शून्य थीऍं तथापि, उर्वरक विभाग द्वारा इन

योजनाओं के अंतर्गत बजटीय आबंटनों का पूर्ण उपयोग करने के बावजूद 01 अप्रैल, 2021 को आयातित यूरिया और आयातित पी एंड के उर्वरकों के लिए क्रमश 546.98 करोड़ रुपये और 479.21 करोड़ रुपये की देनदारियों का निपटारा किया जाना बाकी है। विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई कार्रवाई इन *कैरी ओवर* देनदारियों के बने रहने और उसे निपटाने के लिए उसके द्वारा की जा रही कार्रवाई के कारणों पर मौन है। इसके अलावा, विभाग द्वारा स्वदेशी पीएंडके उर्वरकों और सिटी कंपोस्ट के संबंध में देनदारियों को पूरा करने के संबंध में दिया गया स्पष्टीकरण कि ये वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन प्राप्त किए जा रहे दावों के कारण हैं, जो ठोस प्रतीत नहीं होता है।

चूंकि स्वदेशी और आयातित उर्वरकों दोनों के संबंध में देनदारियों को पूरी तरह से खत्म करना बहुत आवश्यक है, इसलिए समिति की सिफारिश है कि आयातित यूरिया और स्वदेशी और आयातित पी एंड के उर्वरकों की *कैरी ओवर* देनदारियों को निपटाने के लिए उर्वरक विभाग द्वारा बजटीय आवंटन में वृद्धि सहित त्वरित कदम उठाए जाने चाहिए। विभाग को वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन से पहले उर्वरक कंपनियों द्वारा सब्सिडी/बाजार विकास सहायता (एमडीए) दावों को प्रस्तुत करने के लिए एक सख्त समय-सीमा भी निर्धारित करनी चाहिए ताकि बजटीय आवंटन का पूरी तरह से उपयोग किया जा सके और प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च से पहले एक वर्ष से संबंधित सभी सब्सिडी दावों का निपटारा किया जा सके। समिति उपरोक्त सिफारिशों पर की गई कार्रवाई से अवगत कराना चाहेगी।

सिफारिश संख्या 2

<u>उर्वरक विभाग के लिए बीई 2021-22 में बजटीय आवंटन</u>

1.8 बजटीय योजना को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर बल देते हुए ताकि आवश्यकताओं के अनुरूप बजटीय आवंटन प्राप्त किया जा सके, बीई चरण में आवंटित निधियों का समय पर और इष्टतम उपयोग किया जा सके और वित्त मंत्रालय के समक्ष पुन: चरण में आवश्यक निधियों के आवंटन के लिए समय पर प्रस्ताव रखा जा सके जिससे कि सब्सिडी योजनाओं की आगे की देनदारियों को समाप्त किया जा सके, समिति ने निम्नलिखित सिफारिश की:

"समिति यह नोट करते हुए चिंतित है कि उर्वरक विभाग की उर्वरक राजसहायता योजनाओं के लिए प्रस्तावित बजटीय आवंटन और वित्त मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए किए गए बजटीय आवंटन में भारी अंतर है। विभिन्न उर्वरक राजसहायता योजनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 110310.40 करोड़ रुपये के प्रस्ताव की तुलना में विभाग के लिए 80011.39 करोड़ रुपये का बजट अनुमान किया गया है। समिति ने नोट किया है कि 2021-22 के चरण में यूरिया राजसहायता योजनाओं के लिए 80650.40 करोड़ रुपये की प्रस्तावित आवश्यकता की तुलना में 62797.68 करोड़ रुपये का आवंटन और पोषक तत्व आधारित राजसहायता नीति 29660.00 करोड़ रुपये की प्रस्तावित आवश्यकता की तुलना में 20762.00 करोड़ रुपये है। इस संबंध में उर्वरक विभाग द्वारा किए गए निवेदन के अनुसार 2021-22 के ब.अ. यूरिया राजसहायता के लिए 62797.68 करोड़ रुपये बीई 2020-21 से अधिक है जो 50435.00 करोड़ रुपये था। इसके अलावा यूरिया के आयात के लिए 19550.00 करोड़ रुपये का बीई बजटीय आवश्यकता पर आधारित है। विभाग के अनुसार यूरिया राजसहायता की आवश्यकता यूरिया, प्राकृतिक गैस आदि की वास्तविक खपत जैसी बातों पर निर्भर करती है और आरई 2021-22 के समय, यदि आवश्यकता होगी तो यूरिया राजसहायता के लिए अतिरिक्त के बारे में आवश्यकता वित्त मंत्रालय को बताया जाएगा। तथापि, विभाग ने कहा है कि घटे हुए आवंटन पीएडंके उर्वरक और सिटी कंपोस्ट की निधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं और आवश्यक निधियों की मांग अनुपूरक मांग और/या विशेष बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से की जाएगी। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए समिति यह पाती है कि उर्वरक राजसहायता योजनाओं के संबंध में निधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कम आवंटन पर्याप्त नहीं होगा और अंतत: उर्वरक कंपनियों को भुगतान में देरी होगी

जिससे उनके वित्तीय प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि उर्वरक विभाग अपनी बजटीय योजना को मजबूत करे ताकि उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप बजटीय आवंटन हो सके, बीई चरण में आवंटित निधियों के समय पर और इष्टतम उपयोग के लिए ठोस कदम उठाए जाएं और यूरिया और एनबीएस राजसहायता योजनाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होने की स्थिति में आरई चरण में अपेक्षित धनराशि के आवंटन के लिए वित्त मंत्रालय के समक्ष समय पर प्रस्ताव रखा जा सके। समिति को उम्मीद है कि विभाग 2021-22 के दौरान उक्त सिफारिशों का अक्षरश: पालन करेगा और आरई चरण में विभाग के राजसहायता बजट के तहत आवश्यक अतिरिक्त निधि के आवंटन के लिए वित्त मंत्रालय को आश्वस्त करने के लिए गंभीर प्रयास करेगा। समिति ने वित्त मंत्रालय से यह भी आग्रह किया है कि वह अग्रनीत देनदारियों को समाप्त करने के लिए 2020-21 के दौरान इसके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को जारी रखे और यूरिया राजसहायता और एनबीएस योजनाओं के लिए उर्वरक विभाग द्वारा आवश्यक अतिरिक्त धनराशि 2021-22 के आरई चरण में आवंटित करे क्योंकि अग्रेनीत देनदारियों को एकत्रित करना और उर्वरक इकाइयों को राजसहायता भुगतान करने के लिए विशेष बैंकिंग व्यवस्था की बाद में आवश्यकता वित्तीय रूप से विकेकपूर्ण उपाय नहीं है। इस सिफारिश के अनुपालन के लिए वित्त मंत्रालय को भी सूचित किया जाए।"

सरकार का उत्तर

1.9 समिति की पूर्व उल्लिखित सिफारिश के उत्तर में अपनी की गई कार्रवाई में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग ने इस बारे में कहा:

> "एफआईसीसी ने बजट अनुमान 2021-22 के लिए स्वदेशी यूरिया हेतु 61089.00 करोड़ रु. की मांग प्रस्तावित की थी परंतु केवल 43236.28 करोड़ रु. ही आवंटित किए गए हैं। एफआईसीसी ने विद्यमान गैस कीमत और विनिमय दर को ध्यान में रखते हुए बजट प्राक्कलनों की आवश्यकता का अनुमान लगाया है। अतिरिक्त निधि की आवश्यकता, यदि कोई हो, का पुनराकलन 2021-22 के लिए संशोधित प्राक्कलनों के समय किया जाएगा और संशोधित अनुमान स्तर पर मांग की जाएगी।"

समिति की आगे की टिप्पणी

1.10 समिति मंत्रालय द्वारा दी गई अधूरी की गई कार्रवाई उत्तर से संतुष्ट नहीं है। उत्तर केवल स्वदेशी यूरिया की बजटीय आवश्यकताओं से संबंधित है और यह आयातित यूरिया, स्वदेशी और आयातित पी एंड के उर्वरकों और शहर की खाद के संबंध में स्थिति पर मौन है। इसके अलावा यह भी स्पष्ट नहीं है कि विभाग ने 2021-22 के आरई चरण में यूरिया सब्सिडी और एनबीएस योजनाओं के लिए उर्वरक विभाग द्वारा आवश्यक अतिरिक्त धनराशि आवंटित करने के लिए समिति की सिफारिश वित्त मंत्रालय को भेजी थी या नहीं। चूंकि यह जरूरी है कि उर्वरक विभाग अपनी बजटीय योजना को मजबूत करे ताकि उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप बजटीय आवंटन प्राप्त किया जा सके, बीई चरण में आवंटित निधियों के समय पर और इष्टतम उपयोग के लिए ठोस कदम उठाए जाएं और यूरिया और एनबीएस सब्सिडी योजनाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होने की स्थिति में पुन: चरण में अपेक्षित धनराशि के आवंटन के लिए वित्त मंत्रालय के समक्ष समय पर प्रस्ताव रखा जाए, इसलिए समिति पूर्व की सिफारिश को दोहराते हुए आशा करती है कि इस पर विभाग द्वारा व्यापक उत्तर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा, यदि विभाग ने समिति की सिफारिश वित्त मंत्रालय को नहीं बताई थी, तो इसे अनुपालन के लिए तत्काल उस मंत्रालय को भेजा जाए। इस संबंध में विशिष्ट कार्रवाई का उत्तर दिया जाए।

सिफारिश सं. 6

<u>पीएंडके फर्टिलाइजर्स की घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए विदेशों में संयुक्त उद्यमों को प्रोत्साहित करने की पहल</u>

1.11 दोनों पर देश की कुल निर्भरता को ध्यान में रखते हुए पीएंडके उर्वरकों और उनके कच्चे माल और उर्वरक संसाधनों से समृद्ध देशों में नई संयुक्त उद्यम परियोजनाओं की स्थापना की आवश्यकता, समिति ने निम्नवत् सिफारिश की:

"समिति यह नोट करती है कि वर्तमान में आयात पर भारत की निर्भरता यूरिया संबंधी हमारी आवश्यकता के 25 प्रतिशत तक, फॉस्फेट के संबंध में 90 प्रतिशत, चाहे तो वह कच्चे माल या तैयार उर्वरकों (डीएपी/एमएपी/टीएसपी) के रूप में हो और पोटाश के संबंध में 100 प्रतिशत तक है। समिति यह भी नोट करती है कि सरकार भारतीय कंपनियों को उन देशों में सहउद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है जो क्रय द्वारा वापस लेने संबंधी व्यवस्था (बाय बेक अरेंजमेंट) के साथ-साथ उत्पादन सुविधाओं के लिए उर्वरक संसाधनों से समृद्ध हैं और भारत को उर्वरकों और उर्वरक आदानों की आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक समझौता करना चाहते हैं। समिति को यह भी पता चला कि अब तक उर्वरक विभाग ने पिछले वर्षों के दौरान पांच देशों के साथ विदेशों में सह उद्यम शुरू किए हैं। इसके अतिरिक्त, विभाग विदेशों में उर्वरक संबंधी कच्चे माल को प्राप्त करने के लक्ष्य से भी काम कर रहा है। वर्तमान में उर्वरक विभाग के पास उर्वरक कंपनियों के लिए अन्य संसाधन संपन्न देशों में सहउद्यम बनाने के लिए कोई प्रोत्साहन योजना नहीं है, ताकि इसकी नियमित आपूर्ति को सुनिश्चित किया जा सके। तथापि, कंपनियों से प्राप्त गैर-वित्तीय सहायता के अनुरोधों के मामलों में, विभाग उनके समक्ष आ रही बाधाओं को कम करने और विदेशों में भारतीय मिशनों और विदेश मंत्रालय के माध्यम से उन्हें यथा संभव सहायता प्रदान करने के प्रयास कर रहा है। उर्वरक विभाग के अनुसार, उर्वरक विभाग के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से इक्विटी भागीदारी वाली कोई सह उद्यम परियोजना पिछले तीन वर्षों में स्थापित नहीं की गई है और निकट भविष्य में ऐसी कोई परियोजना प्रस्तावित नहीं है। वर्ष 2020-21 के दौरान विभाग द्वारा किसी भी देश के साथ सहउद्यम पर हस्ताक्षर नहीं किए गए लेकिन उर्वरक क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग से संबंधित कई बड़े कार्य हुए हैं। चूंकि देश में पीएंडके उर्वरकों और उससे संबंधित कच्चे माल दोनों पर अत्यधिक निर्भरता है, इसलिए समिति यह सिफारिश करती है कि विभाग, पीएंडके उर्वरकों और उनके कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए दीर्घकालिक क्रय द्वारा वापस लेने संबंधी व्यवस्था (बायबेक व्यवस्था सहित) नई सह उद्यम परियोजनाओं की स्थापना के लिए ईमानदारी पूर्वक और सटीक प्रयास करे। इस संबंध में, विभाग सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र को विदेशों में ऐसे संयुक्त उद्यमों की स्थापना के लिए आगे आने हेतु प्रोत्साहित कर सकता है और उन्हें इस उद्देश्य के लिए सभी सहायता प्रदान कर सकता है। विदेशों में पीएंडके उर्वरकों के कच्चे माल के अधिग्रहण और देश में उर्वरकों के निर्माण को भी आवश्यक महत्व दिया जाए ताकि देश में पीएंडके उर्वरकों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके, देश में रोजगार पैदा किया जा सके और देश में पीएंडके उर्वरकों की लागत को कम किया जा सके। समिति यह भी सिफारिश करती है कि इस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए उत्सुक सरकारी और निजी कंपनियों को एक निश्चित अभिविन्यास देने हेतु विदेशों में सहउद्यमों के पूरे मामले, खानों और कच्चे माल का अधिग्रहण आदि में उर्वरक विभाग द्वारा एक निश्चित फ्रेमवर्क तैयार किया जाए। समिति मानती है कि क्रय द्वारा वापस लेने संबंधी व्यवस्था (बाय बेक व्यवस्था) के साथ विदेशों में सहउद्यम स्थापित करने से देश में पीएंडके उर्वरकों की किसी भी कमी और कीमतों में उतार-चढ़ाव को रोका जा सकता है जिससे सब्सिडी शीर्ष पर बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत सुनिश्चित हो सकती है।"

सरकार का उत्तर

1.12 समिति की पूर्व उल्लिखित सिफारिश के उत्तर में अपनी की गई कार्रवाई में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग ने इस बारे में निम्नवत् कहा:

> "भारतीय उर्वरक कम्पनियों द्वारा विदेश से कच्चे माल की प्राप्ति और सरकार की भूमिका को सुदृढ़ करने के लिए एनआईएईपीआर को भारतीय उर्वरक कम्पनियों द्वारा विदेश से कच्चे माल की प्राप्ति और सरकार की भूमिका के लिए नीति बनाने हेतु अध्ययन सौंपा गया था। एनआईएईपीआर ने अपनी अंतिम रिपोर्ट (पताका-'क') प्रस्तुत कर दी है। इस पर विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव (गल्फ), संयुक्त सचिव (यूरेशिया) और संयुक्त सचिव (डीपीए-I), एफएआई, एनएफएल, आरसीएफ, इफको, सीआईएल, कृभको और जीएसएफसी की टिप्पणियां प्राप्त कर ली गई हैं। अध्ययन रिपोर्ट और इस पर विभिन्न संगठनों की टिप्पणियों के आधार पर भारतीय उर्वरक कम्पनियों द्वारा विदेश से कच्चे माल की प्राप्ति और सरकार की भूमिका के लिए प्रारूप दिशा-निर्देश तैयार कर लिए गए हैं और यह विचाराधीन हैं।"

समिति की आगे की टिप्पणी

1.13 समिति ने नोट किया कि विभाग ने भारतीय उर्वरक कंपनियों द्वारा कच्चे माल के विदेशी अधिग्रहण के लिए नीति तैयार करने के लिए एक अध्ययन और राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान संस्थान (नाईपर) को सरकार की भूमिका प्रदान की थी। नाईपर की अध्ययन रिपोर्ट और इस पर विभिन्न संगठनों से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर, भारतीय उर्वरक कंपनियों द्वारा उर्वरक कच्चे माल के विदेशी अधिग्रहण के लिए दिशा-निर्देशों के मसौदे पर विभाग द्वारा विचार किया जा रहा है। यद्यपि समिति इस संबंध में विभाग द्वारा की गई पहलों की सराहना करती है, लेकिन यह ध्यान देने के लिए बाध्य है कि विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई कार्रवाई उर्वरकों और उसके कच्चे माल की आपूर्ति के लिए खरीद-वापस व्यवस्था और संसाधन संपन्न देशों में खानों के अधिग्रहण के साथ उत्पादन सुविधाओं के लिए विदेशों में संयुक्त उद्यमों की स्थापना के संबंध में पूर्व में की गई सिफारिश के अन्य पहलुओं के बारे में मौन है। इस संबंध में समिति विदेशों में संयुक्त उद्यम, खानों और कच्चे माल के अधिग्रहण आदि के पूरे मामले में व्यापक दृष्टिकोण अपनाने के लिए पूर्व की सिफारिश को दोहराती है और उम्मीद करती है कि इस मामले में विभाग द्वारा व्यापक जवाब दिया जाएगा।

सिफारिश संख्या 8

<u>सिटी कंपोस्ट के उत्पादन को गति देने के लिए अधिक निधि आबंटित करने की आवश्यकता</u>

1.14 किसानों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए बायो डिग्रेडेबल शहरी कचरे के अधिकतम उपयोग से सिटी कंपोस्ट के उत्पादन को गति देने के लिए अधिक धनराशि के आवंटन और बुनियादी ढांचे और अन्य अड़चनों को दूर करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए समिति ने निम्नवत् सिफारिश की:

"समिति यह नोट करती है कि यूरिया के उत्पादन की औसत लागत लगभग 17690 रुपये प्रति मीट्रिक टन **(2020-21** की पहली तिमाही) है और उत्पादन लागत का लगभग 71 प्रतिशत राजसहायता का है। यह यूरिया के लिए 12559.90 रुपये प्रति मीट्रिक टन (अर्थात 17690X71) है**,** जबकि यह 10.02.2016 से सिटी कंपोस्ट के उत्पादन और खपत बढ़ाने के लिए बाजार विकास सहायता (एमडीए) के तहत केवल 1500 रुपये प्रति मीट्रिक टन है। यह राजसहायता किसानों के लिए नहीं है। यह खाद निर्माताओं और उर्वरक निर्माताओं के लिए है। उर्वरक निर्माताओं को सिटी कंपोस्ट के सह-विपणन और राजसहायता का दावा करने की अनुमति दी जाती

है। इतना ही नही, एमडीए निधि की बड़ी मात्रा किसी भी समय रोकी जा सकती है जैसा कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि वर्ष 2020-21 (31.1.21 की स्थिति के अनुसार) 2019-20 और 2018-19 के दौरान 294017.40 मीट्रिक टन, 324598.45 मीट्रिक टन, 306630.43 मीट्रिक टन कंपोस्ट की बिक्री के तुलना में क्रमश: केवल 36.00 करोड़ रुपये, 32.00 करोड़ रुपये, 10.00 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। समिति मानती है कि ऐसा बजट में आवंटित अपर्याप्त धनराशि, अव्यवहारिक भुगतान प्रक्रिया, सिटी कंपोस्ट के परीक्षण के लिए प्रयोगशालाओं जैसी अवसंरचनात्मक सहायता की कमी, किसानों के बीच जागरूकता की कमी, केन्द्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के और केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों अर्थात उर्वरक एवं रसायन मंत्रालय का उर्वरक विभाग, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय और कृषि मंत्रालय के बीच समन्वय के अभाव के कारण भी है। यह भी पता चला है कि सिटी कंपोस्ट के समन्वय और संवर्धन के लिए केवल 12 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने राज्य स्तरीय संचालन समिति का गठन किया है। विगत वर्ष में इसमें केवल 11 राज्य थे। इस प्रकार, एक वर्ष में केवल 01 राज्य/यूटी की वृद्धि हुई है। इस संबंध में समिति यह सिफारिश करती है कि सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य स्तरीय संचालन समिति का गठन के लिए विभिन्न हितधारकों द्वारा ठोस प्रयास किए जाने चाहिए। समिति आगे सिफारिश यह करती है कि बाजार विकास सहायता (एमडीए) की भुगतान प्रक्रिया को इस तरह से सरल बनाया जाना चाहिए कि संबंधित प्राधिकारियों को प्रस्तुत दावे की तारीख से उचित समयावधि के भीतर निधि संबंधित को जारी की जाए; राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों में नए स्थापित किए जाएं और यदि आवश्यक हो तो सिटी कंपोस्ट के परीक्षण के लिए मौजूदा प्रयोगशालाओं की क्षमता आदि में वृद्धि की जाए और स्थानीय नगर निकायों को लैंडफिल साइटों की पहचान करने में सिटी कपोस्ट विनिर्माताओं के साथ सहयोग करना चाहिए। समिति आगे यह सिफारिश करती है कि किसानों को रासायनिक उर्वरकों के साथ-साथ सिटी कंपोस्ट के उचित अनुपात का उपयोग करने के लिए टोकन प्रोत्साहन भी दिया जाए। जहां तक सिटी कंपोस्ट के लाभों के संबंध में किसानों के बीच जागरूकता उत्पन्न करने का संबंध है, समिति यह जानकर प्रसन्न है कि किसानों में पर्याप्त जागरूकता है जैसा कि सिटी कपोस्ट की मांग के क्रमिक वृद्धि से स्पष्ट है जिसके परिणामस्वरूप भारत में सिटी कंपोस्ट की कमी है। वर्ष 2018-19 में 7249.77 मीट्रिक टन और 2020-21 में 95668.5 मीट्रिक टन (31.01.2021 तक) की कमी थी। हालांकि वर्ष 2019-20 के दौरान 1017.86 मीट्रिक टन का अधिशेष था, जो नाममात्र का था। अत:, समिति मानती है कि अधिक निधि आवंटन के माध्यम से किसानों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सिटी कंपोस्ट के उत्पादन को बढ़ाने और शहर के अपशिष्ट को सिटी कंपोस्ट में बदलने के लिए अवसंरचना संबंधी और अन्य बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता है, विशेष रूप से तब जब भारतीय शहर ही अपशिष्ट उत्पन्न कर रहे हैं, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, प्रतिदिन 15 लाख टन ठोस कचरा उत्पन्न होता है जिसमें से 30 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक जो जैव अपघटनीय होता है।"

सरकार का उत्तर

1.15 समिति की पूर्व उल्लिखित सिफारिश के उत्तर में अपनी की गई कार्रवाई में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग क ने इस बारे में निम्नवत् कहा:-

1. आज की तिथि में अब तक 14 राज्य संघ राज्यक्षेत्रों अर्थात उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मिज़ोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, जम्मू एवं कश्मीर, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, हिमाचल प्रदेश, मेघालय और गोवा ने संचालन समिति का गठन किया है। राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को राज्य स्तरीय संचालन समिति का गठन करने के लिए समय-समय पर स्मरण कराया जा रहा है। सचिव स्तर के अ.शा.पत्रों के माध्यम से संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों को संचालन समिति का गठन करने का अनुरोध किया

गया है। हाल ही में इस वर्ष जून, 2021 में शेष राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को समिति का गठन करने के अनुरोध के साथ अनुस्मारक भेजा गया।

2. उर्वरक विभाग द्वारा जारी दिनांक 10.10.2016 और 09.01.2017 के दिशा-निर्देशों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार शहरी कम्पोस्ट की बिक्री हेतु कम्पोस्ट विपणनकर्ता और कम्पोस्ट विनिर्माताओं को बाजार विकास सहायता (एमडीए) का भुगतान किये जाते हैं। कभी कभी कम्पोस्ट विपणनकर्ता और विनिर्माताओं से अपेक्षित दस्तावेजों की प्राप्ति में विलम्ब, अपर्याप्त बजट आवंटन आदि होता है जिसके कारण भुगतान की प्रक्रिया में प्रक्रियात्मक विलम्ब होता है। डीएसीएण्डएफडब्ल्यू ने सूचित किया है कि शहरी कम्पोस्ट के परीक्षण हेतु विद्यमान प्रयोगशालाओं की क्षमता को बढ़ाने के लिए राज्य, डीएसीएण्डएफडब्ल्यू की विभिन्न स्कीमों के तहत उपलब्ध निधियों का उपयोग कर सकते है। इसके अतिरिक्त यह भी सूचित किया गया है कि राज्यों को जोनल सम्मेलनों में नमूना परीक्षण को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

3. उपर्युक्त सिफारिश 8, पैरा 3 के संबंध में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से इनपुट्स मांगे गए थे। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से उत्तर प्रतीक्षित है।

समिति की आगे की टिप्पणियां

1.16 समिति ने उर्वरक विभाग द्वारा दिए गए उत्तर से नोट किया कि बारह राज्यों और दो संघ राज्य क्षेत्रों ने अब तक सिटी कंपोस्ट के समन्वय और संवर्धन के लिए राज्य स्तरीय संचालन समिति का गठन किया है। विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयासों को ध्यान में रखते हुए समिति यह अपेक्षा करती है कि विभाग एक निश्चित समय सीमा के भीतर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा संचालन समिति के गठन के लिए मुख्य सचिव/प्रशासक स्तर पर अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ कार्य करे।

1.17 समिति ने नोट किया है कि कभी-कभी कंपोस्ट विपणनकर्ता और विनिर्माता आदि से अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त करने में विलंब होता है जिसके कारण शहर की खाद के लिए बाजार विकास सहायता के भुगतान के प्रसंस्करण में प्रक्रियात्मक विलम्ब होता है। इस संबंध में समिति सिफारिश करती है कि कंपोस्ट विपणनकर्ता और विनिर्माताओं द्वारा संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए विभाग द्वारा सख्त समय-सीमा तय की जानी चाहिए ताकि देनदारियों को पूरा किए बिना एमडीए का समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।

1.18 समिति यह नोट कर चिंतित है कि विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर सिटी के उचित अनुपात का उपयोग करने के लिए किसानों को टोकन प्रोत्साहन प्रदान करने के संबंध में सिफारिश पर मौन है। वर्तमान में कंपोस्ट विपणन कंपनियों और निर्माताओं को बाजार विकास सहायता प्रदान की जा रही है लेकिन जो किसान वास्तव में शहर की खाद का उपयोग करते हैं, उन्हें छोड़ दिया जाता है। चूंकि किसानों को प्रोत्साहन प्रदान करने से उन्हें अधिक सिटी कंपोस्ट का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, समिति पहले की सिफारिश को दोहराती है और उम्मीद करती है कि विभाग इस संबंध में अपनी विशिष्ट कार्रवाई का उत्तर प्रस्तुत करे।

1.19 समिति की इस टिप्पणी के संबंध में कहा गया है कि अधिक निधि के आवंटन के माध्यम से किसानों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सिटी कंपोस्ट के उत्पादन को गति देने और शहर के कचरे को शहर के कचरे को सिटी कंपोस्ट में बदलने के रास्ते में आ रही बुनियादी ढांचे और अन्य अड़चनों को दूर करने के लिए इसे गति देने की जरूरत है, समिति ने नोट किया कि आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय से सूचना मांगी गई है। समिति को आशा है कि विभाग इस मामले को शीघ्र उत्तर देने के लिए उक्त मंत्रालय के साथ आगे बढ़ाए और सिफारिश के कार्यान्वयन के लिए ठोस कदम उठाए। इस संबंध में की गई प्रगति की सूचना समिति को दी जाए।

सिफारिश सं.11

<u>उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा</u>

1.20 मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सिफारिशों के अनुसार मृदा की स्थिति/फसल पैटर्न और उर्वरकों की बिक्री के अनुसार उर्वरकों के संतुलित उपयोग के बारे में किसानों को शिक्षित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए समिति ने निम्नवत् सिफारिश की:

"समिति यह नोट करती है कि पिछले कुछ वर्षों में देश में यूरिया और अन्य रासायनिक उर्वरकों की बिक्री बढ़ी है। रासायनिक उर्वरकों की कुल बिक्री 2017-2018 में 568.29 एलएमटी थी जो 2019-2020 (पैरा 2.1) में बढ़कर 615.14 एलएमटी हो गई है। पोषकतत्व आधारित राजसहायता योजना के थर्ड पार्टी मूल्यांकन की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि पीएण्डके उर्वरकों की तुलना में यूरिया की सस्ती कीमत के कारण एन, पी और के पोषक तत्वों के असंतुलित उपयोग को नियंत्रित करने में एनबीएस नीति सफल नहीं हुई और उर्वरकों के शेष उपयोग के प्रचार के प्रयास उचित नहीं हैं। इस संबंध में, उर्वरक विभाग ने कहा है कि उसने उर्वरक पोषकतत्वों के इष्टतम उपयोग के बारे में ज्ञान का प्रचार प्रसार करने और उर्वरक उपयोग और प्रबंधन के क्षेत्र में नए विकास के बारे में किसानों को जागरूक करने के लिए 22 अक्टूबर, 2020 को डीएसीएण्डएफडब्ल्यू और डेयर (डीएआरई) के सहयोग से किसानों के लिए एक संयुक्त जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस जागरूकता अभियान को कोविड-19 महामारी के कारण राज्य कृषि विभागों और अन्य हितधारकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आउटरीच कार्यक्रमों के रूप में फिर से तैयार किया गया है। समिति का मानना है कि उर्वरकों के संतुलित उपयोग के बारे में किसानों की शिक्षा के लिए पूरे देश में जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने की आवश्यकता है क्योंकि वर्तमान में किसानों को आम तौर पर मृदा की स्थिति के साथ-साथ फसल के पैटर्न के अनुसार उर्वरकों के संतुलित उपयोग के बारे में बहुत कम जानकारी होती है। इस प्रकार, समिति ने निम्नलिखित सिफारिश की है:-

(i) उर्वरक विभाग को वर्ष भर किसानों के बीच मृदा परीक्षण और उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए लक्ष्योन्मुखी तरीके से कृषि मंत्रालय, राज्य सरकारों और अन्य एजेंसियों के संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर और भी अधिक सतत और गम्भीर प्रयास करने चाहिए;

(ii) उर्वरक पोषकतत्वों के इष्टतम और संतुलित उपयोग, मृदा उर्वरता पर इसके प्रभाव सहित उर्वरकों के असंतुलित उपयोग के दुष्प्रभाव, उर्वरक उपयोग और प्रबंधन के क्षेत्र में नए विकास आदि पर प्रत्येक फसल के मौसम की शुरूआत से पहले संयुक्त जागरूकता कार्यक्रम/राज्य/जिला-वार/आउट-रीच कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए।

(iii) वर्तमान में मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अनुसार उर्वरक की मात्रा की खरीद केवल वैकल्पिक है। विभाग कृषि मंत्रालय, राज्य सरकारों और किसानों सहित विभिन्न हितधारकों के परामर्श से जांच कर सकता है कि क्या मृदा स्वास्थ्य कार्ड में की गई सिफारिश के अनुसार उर्वरक खरीदना अनिवार्य किया जा सकता है और तदनुसार उस पर निर्णय लिया जा सकता है।

<u>सरकार का उत्तर</u>

1.21 समिति की पूर्व उल्लिखित सिफारिश के उत्तर में अपनी की गई कार्रवाई में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग ने निम्नवत् कहा:-

(i), (ii) एवं (iii) उर्वरक विभाग उर्वरकों के संतुलित प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक तथा गंभीर प्रयास कर रहा है। उर्वरक अनुप्रयोग जागरूकता कार्यक्रम (एफएएपी), जोकि उर्वरक विभाग, डीएसीएण्डएफडब्ल्यू तथा डीएआरई का संयुक्त प्रयास है, इस दिशा मे उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। एफएएपी कार्यक्रम को वर्ष में दो बार अर्थात खरीफ तथा रबी फसल मौसम से पहले आयोजित किए जाने की परिकल्पना की गई है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उर्वरकों के संतुलित प्रयोग के लाभों, अपनाई जाने वाली नवीनतम पद्धतियों आदि के बारे में सूचना का प्रसार करना है। यद्यपि यह कार्यक्रम अखिल भारतीय स्तर पर कृषक समुदाय को इस प्रकार की सूचना/पद्धतियों का प्रसार सीधे प्रसारण से करता है, पहले ऐसे एफएएपी कार्यक्रम (2019) में इसे आईसीएआर इमारत में उचित व्यवस्था के साथ किया गया था, जहां किसानों की समस्याओं का जवाब देने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंधित मंत्रालयों के माननीय मंत्री, आईसीएआर के वैज्ञानिक तथा कृषक समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए नजदीकी क्षेत्रों के कुछ किसान मौजूद थे। इस प्रकार की व्यवस्था से आईसीएआर बिल्डिंग में बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई। इस वैश्विक महामारी के समय में, इस प्रकार की भीड़ एकत्र करना वांछनीय नहीं है। इस प्रकार, हालांकि संयुक्त जागरूकता कार्यक्रम को प्रत्येक खरीफ तथा रबी फसल मौसम के पहले किए जाने की परिकल्पना की गई है, वर्ष 2020 में यह आयोजित नहीं किया जा सका। तथापि, सरकार कृषक समुदाय को उर्वरकों के संतुलित प्रयोग को लाभों के बारे में जानकारी देने के लिए प्रतिबद्ध है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से कृषि मंत्रालय इस दिशा में पहले ही आवश्यक कदम उठा रहा है। जहां तक मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सिफारिशों के अनुसार उर्वरकों की खरीद को अनिवार्य बनाने अथवा नहीं बनाने, के तौर तरीकों का पता लगाने की सिफारिश का संबंध है, डीएसीएण्डएफडब्ल्यू से विचार पहले ही मांगे गए हैं।"

समिति की आगे की टिप्पणियां

1.22 समिति ने नोट किया कि उर्वरक अनुप्रयोग जागरूकता कार्यक्रम (एफएएपी), जो उर्वरक विभाग, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग (डीएसीएंडडब्ल्यू) तथा कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (डेयर) का संयुक्त प्रयास है, को द्वि-वार्षिक यानी खरीफ और रबी फसल के मौसम से पहले आयोजित किए जाने की परिकल्पना की गई है लेकिन कोविड महामारी के कारण 2020 के दौरान इसका आयोजन नहीं किया जा सका। इस संबंध में समिति का मानना है कि नई दिल्ली से आयोजित यह अकेला कार्यक्रम उर्वरकों के संतुलित उपयोग के संबंध में किसानों में अपेक्षित स्तर की जागरूकता पैदा करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। इसलिए, समिति पूर्व की सिफारिशों को दोहराती है कि उर्वरक विभाग वर्ष भर किसानों के बीच उर्वरकों के संतुलित उपयोग के महत्व के बारे में लक्ष्योन्मुखी तरीके से कृषि मंत्रालय, राज्य सरकारों और अन्य एजेंसियों के संबंधित विभागों के साथ समन्वय करते हुए और अधिक सतत और गंभीर प्रयास करे तथा उर्वरक पोषक तत्वों के इष्टतम और संतुलित उपयोग पर प्रत्येक फसल के मौसम की शुरुआत से पहले राज्य/जिला/आउट-रीच कार्यक्रमों का आयोजन करे जिसमें मृदा उर्वरता पर इसके प्रभाव सहित उर्वरकों के असंतुलित उपयोग के दुष्प्रभाव, उर्वरक उपयोग और प्रबंधन के क्षेत्र में नए विकास आदि शामिल हैं। उपर्युक्त सिफारिशों के विशिष्ट उत्तर समिति को प्रस्तुत किए जाएं।

1.23 समिति ने आगे नोट किया कि उर्वरक विभाग ने यह तय करने के लिए डीएसी एवं एफडब्ल्यू की टिप्पणियां मांगी हैं कि क्या मृदा स्वास्थ्य कार्ड में सिफारिशों के अनुसार उर्वरक खरीदना अनिवार्य किया जा सकता है। इस संबंध में समिति की इच्छा है कि डीएसी एंड एफडब्ल्यू की टिप्पणियों में तेजी लाई जाए और

इस मामले में जल्द से जल्द कोई निर्णय लिया जाए। समिति इस संबंध में की गई प्रगति से अवगत होना चाहेगी।

सिफारिश सं.13

<u>नैनो उर्वरकों को बढ़ावा</u>

1.24 देश में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए नैनो उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए अलग से बजटीय आवंटन की आवश्यकता पर जोर देते हुए समिति ने निम्नवत् सिफारिश की:

> "समिति यह नोट करती है कि राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक लिमिटेड (आरसीएफ औरभारतीय कृषक उर्वरक सहकारी लिमिटेड (इफको) के पास नैनो उर्वरक है। हालांकि पूर्व के नैनो फर्टिलाइजर का परीक्षण अभी बाकी है, लेकिन बाद में नैनो फर्टिलाइजर के उत्पादन की तैयारी चल रही है। इस संबंध में हाल ही में उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के तहत अधिसूचना जारी की गई है। हालांकि नैनो टेक्नोलॉजी के साथ मुख्य चुनौती डिलीवरी सिस्टम है। पारंपरिक उर्वरक हस्त तंत्र द्वारा दिए जाते हैं लेकिन नैनो उर्वरकों के मामले में किसानों को सिंचाई हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले जल में उर्वरक घोल कर प्रयोग करने (फर्टिगेशन) की जरूरत होती है। किसानों के बीच फर्टिगेशन को बढ़ावा देने के लिए पहले से ही एक मौजूदा योजना है। इसे किसानों के बीच फैलाने के लिए नैनो फर्टिलाइजर और फर्टिलाइजेशन तकनीक दोनों को एक दूसरे से परस्पर जुड़ना होगा। यह रासायनिक उर्वरकों की तुलना में भी कम महंगा है। और, इससे उर्वरक उपयोग में भी 50 प्रतिशत की कमी आएगी जिसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा की बचत होगी। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि विभाग को रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए बड़े पैमाने पर देश में नैनो उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए एक योजना तैयार करनी चाहिए। नैनो उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए अलग से बजटीय आवंटन पर भी विचार किया जा सकता है।''

<u>सरकार का उत्तर</u>

1.25 समिति की पूर्व उल्लिखित सिफारिश के उत्तर में अपने की गई कार्रवाई उत्तर में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग ने इस बारे में निम्नवत् कहा:

> "भारत सरकार का प्रयास कृषि के क्षेत्र में नवोन्मेष को प्रोत्साहित करना है। तथापि, कृषि, सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग ने उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 में नैनो यूरिया को नैनो नाइट्रोजन उर्वरक के रूप में अधिसूचित किया है। उर्वरक (इनआर्गेनिक, आर्गेनिक अथवा मिश्रित) नियंत्रण आदेश, 1985 के खंड 20 घ के तहत अधिसूचना जारी की गई है जिसमें इफको को अधिसूचना जारी होने की तिथि से तीन वर्षों की अवधि हेतु नैनो यूरिया का उत्पादन करने की अनुमति दी गई है। उर्वरक विभाग शहरी कंपोस्ट के संवर्धन संबंधी नीति को बढ़ावा दे रहा है जिसके तहत शहरी कंपोस्ट को बढ़ावा देने के लिए विपणन विकास सहायता (एडीए) के भुगतान हेतु बजटीय आवंटन किया गया है। वर्तमान में इस विभाग में नैनो उर्वरक के संवर्धन हेतु अलग से बजटीय आवंटन का कोई प्रस्ताव नहीं है।"

समिति की आगे की टिप्पणी

1.26 समिति ने नोट किया कि कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग ने नैनो यूरिया को उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 में नैनो-नाइट्रोजन उर्वरक के रूप में अधिसूचित किया है। अधिसूचना जारी होने की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए इफको को नैनो यूरिया का निर्माण करने की अनुमति देने की

अधिसूचना भी जारी की गई है। हालांकि, वर्तमान में उर्वरक विभाग में नैनो उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए अलग से बजटीय आवंटन के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। विभाग द्वारा दिए गए उत्तर में समिति की विशिष्ट सिफारिश पर भी मौन है कि विभाग रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए बड़े पैमाने पर देश में नैनो उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए एक योजना तैयार करे। चूंकि नैनो उर्वरक रासायनिक उर्वरकों की तुलना में सस्ता है और इससे उर्वरक के उपयोग में **50** प्रतिशत की कमी आती है जिसके परिणामस्वरूप बहुत अधिक धन की बचत होती है, समिति इस सिफारिश को दोहराना चाहेगी। इसके अलावा, इस योजना को डिजाइन करना योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त बजटीय परिव्यय बनाया जाए। समिति की उपर्युक्त सिफारिश के संबंध में विशिष्ट कार्रवाई का उत्तर प्रस्तुत किया जाए।

अध्याय दो
टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है

सिफारिश संख्या 1

<u>उर्वरक विभाग को आरई 2020-21 में बढ़ाया बजटीय आवंटन</u>

2.1 समिति को यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि बजटीय आबंटन को बीई चरण में आवंटित 73939.00 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2020-21 के आरई चरण में 138537.30 करोड़ रुपये कर दिया गया था, ताकि यूरिया और पी एंड के उर्वरक राजसहायताओं दोनों के संबंध में अग्रनीत देनदारियों का भुगतान पूरी तरह से किया जा सके। उर्वरक विभाग से संबंधित अनुदान की मांगों 2019-20 और 2020-21 की रिपोर्टों में समिति ने अपर्याप्त बजटीय आवंटन के कारण उर्वरक राजसहायताओं की अग्रनीत देनदारियों को पूरा करने की आवश्यकता पर पूरा जोर दिया। इस संबंध में समिति ने सिफारिश की थी कि यूरिया और पी एंड के उर्वरकों दोनों पर राजसहायता के पूरे बकाए का वितरण करने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा अतिरिक्त बजटीय आवंटन किया जाए। तदनुसार, वित्त मंत्रालय ने यूरिया राजसहायता और पोषक तत्व आधारित राजसहायता (एनबीएस) दोनों पर समस्त खर्च को पूरा करने के लिए बीई चरण में आवंटित 73939.00 करोड़ रुपये के अलावा 2020-21 के आरई चरण में 64598.30 करोड़ रुपये आवंटित किए। समिति को आशा है कि निधियों के इस अतिरिक्त आवंटन से उर्वरक विभाग को यूरिया राजसहायता और एनबीएस राजसहायता के साथ-साथ सिटी कंपोस्ट के लिए बाजार विकास सहायता (एमडीए) की अग्रनीत देनदारियों का भुगतान करने में सक्षम बनाया जाएगा। उर्वरक विभाग के अनुसार स्वदेशी पीएण्डके और सिटी कंपोस्ट के संबंध में अग्रनीत देनदारियों को पूरी तरह से पूरा किया जा रहा है और आयातित पीएण्डके के संबंध में 102.76 करोड़ रुपये की राशि की शेष अग्रनीत देनदारियों को पूरा करना ही शेष बचा है और मार्च-2021 तक इसका उपयोग कर लिए जाने की उम्मीद है। यूरिया राजसहायता के संबंध में विभाग द्वारा यह कहा गया है कि आयातित यूरिया की अग्रनीत देनदारियां 561.63 करोड़ रुपये हैं और स्वदेशी यूरिया के संबंध में यह शून्य है। तथापि, समिति नोट करती है कि स्वदेशी और आयातित यूरिया राजसहायता के लिए आरई चरण में आवंटित 99547.42 करोड़ रुपये में से उर्वरक विभाग द्वारा 22 जनवरी, 2021 तक केवल 60189.73 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया है। जहां तक स्वदेशी और आयातित पीएण्डके उर्वरकों के लिए आवंटन का संबंध है, 2021-22 के आरई चरण में आवंटित 38916.90 करोड़ रुपये में से 22 जनवरी, 2021 तक केवल 17925.72 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। सिटी कंपोस्ट के लिए एमडीए के संबंध में 72.98 करोड़ रुपये के बढ़े हुए आरई आवंटन में से 22.01.2021 तक केवल 29 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। पिछले वर्षों के दौरान विभाग इस संबंध में आवंटन में कमी को लेकर वित्त मंत्रालय की ओर इशारा कर रहा था जिससे अग्रनीत देनदारियां एकत्रित हुई। चूंकि वित्त मंत्रालय द्वारा 2020-21 के आरई चरण में बजटीय आवंटन की अपेक्षित राशि का भुगतान किया गया है, इसलिए समिति उम्मीद करती है कि विभाग 2020-21 के पूर्ण आरई आवंटन का उपयोग करने के लिए तेजी से कार्य करेगा ताकि 2020-21 के अंत तक विभाग की राजसहायता योजनाओं की अग्रनीत देनदारियों का भुगतान किया जा सके। स्वदेशी और आयातित यूरिया राजसहायता, स्वदेशी और आयातित पी एंड के उर्वरक राजसहायता और सिटी कंपोस्ट पर एमडीए के वितरण के लिए आरई 2020-21 में आवंटित धनराशि के उपयोग के बारे में पूरी जानकारी और उनमें से प्रत्येक पर अग्रनीत देनदारियों की स्थिति भी समिति को बतायी जानी चाहिए।

<u>सरकार का उत्तर</u>

2.2 उर्वरक कंपनियों के राजसहायता/डीबीटी दावों का निपटान निधि की उपलब्धता के अध्यधीन नियमित रूप से किया जा रहा है। संशोधित अनुमान (2020-21) स्तर पर आवंटित निधि के उपयोग तथा स्वदेशी यूरिया के संदर्भ में अग्रेनीत देयता (2019-20) की स्थिति के संबंध में सम्पूर्ण जानकारी का ब्यौरा निम्नवत है:

2020-21 की निधि की स्थिति			**अग्रेनीत देयता की स्थिति**		
बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय	01.04.2020की स्थिति के अनुसार अग्रेनीत देयता	2020-21के दौरान भुगतान की गई अग्रेनीत देयता	31.03.2021की स्थिति के अनुसार शेष अग्रेनीत देयता
38375.00	74487.80	68807.41	32154.87	32154.87	शून्य

अन्य योजनाएं:

स्वदेशी एवं आयातित यूरिया राजसहायता, स्वदेशी एवं आयातित पीएंडके उर्वरक राजसहायता एवं शहरी कम्पोस्ट पर बाजार विकास सहायता के संवितरण हेतु संशोधित अनुमान 2020-21 के स्तर पर आवंटित निधि के उपयोग के बारे में सम्पूर्ण सूचना तथा उनमें से प्रत्येक पर अग्रेनीत देयताओं की स्थिति नीचे दिए गए अनुसार हैं:

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	**स्कीम**	**संशोधित अनुमान2020-21**	**उपयोग**	**शेष**	**01.04.2021की स्थिति के अनुसार अग्रेनीत देयता**
1	2	3	4	5=3-4	6
1	आयातित यूरिया	25049.62	25049.62	0	546.98
2	स्वदेशी पीएंडके	23901.53	22288.37	1613.16	0.85*
3	आयातित पीएंडके	15015.37	15015.37	0	479.21
4	शहरी कम्पोस्ट	72.98	68.74	4.24	0.25*
कुल		64039.5	62422.1	1617.4	1027.29

* स्वदेशी पीएंडके तथा शहरी कम्पोस्ट के संबंध में अग्रेनीत देयताएं वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन प्राप्त दावों के कारण हैं।

समिति की आगे की टिप्पणी

(कृपया इस प्रतिवेदन की पैरा संख्या 1.7 को देखें)

सिफारिश संख्या 9

<u>उर्वरकों की मांग और उपलब्धता</u>

2.3 समिति यह नोट करती है कि उर्वरक विभाग को कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग [पैरा 2.1 पांच] द्वारा मूल्याकंन की गई राज्यवार और महीनेवार आवश्यकता के अनुसार विभिन्न उर्वरक संयंत्रों और बंदरगाहों से रियायती रासायनिक उर्वरकों की आवाजाही और वितरण सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तदनुसार उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करके राज्यों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक आवंटित करता है और उपलब्धता की लगातार निगरानी करता है। राजसहायता वाले सभी प्रमुख उर्वरकों पर इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर मॉनिटरिंग सिस्टम (आईएफएमएस) नामक ऑन लाइन वेब आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम द्वारा पूरे देश में नजर रखी जा रही है। लाभार्थी को की गई बिक्री खुदरा विक्रेता की दुकान में स्थापित प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीनों के माध्यम से कैप्चर की जाती है। राज्य सरकारों को नियमित रूप से सलाह दी जाती है कि वे मार्कफेड आदि जैसी अपनी राज्य संस्थागत एजेंसियों आदि के माध्यम से रेलवे रेक के लिए मांगपत्र समय पर देकर आपूर्ति को सुव्यवस्थित करने के लिए उर्वरकों के विनिर्माताओं और आयातकों के साथ समन्वय करें। समिति को यह भी पता चला है कि कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (डीएसी एंड एफडब्ल्यू) और उर्वरक विभाग (डीओएफ) द्वारा राज्य कृषि अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से नियमित साप्ताहिक वीडियो कांफ्रेस आयोजित किया जाता है और राज्य सरकारों द्वारा बताए गए उर्वरक को भेजने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। कालाबाजारी और जमाखोरी से बचने के लिए राज्य सरकारों को उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफसीओ), 1985 के तहत पर्याप्त रूप से अधिकार प्राप्त हैं ताकि आवश्यक कदम उठाए जा सके। उर्वरक विभाग नियमित रूप से राज्य सरकारों को आवश्यक कदम उठाने की सलाह देता है ताकि उर्वरक किसानों को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराया जा सके और कालाबाजारी और जमाखोरी जैसी गड़बड़ियों पर सख्ती से रोक लगाई जा सके। हालांकि विभाग ने यह सूचित किया है कि वर्तमान में देश में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है, समिति यह नोट करके क्षुब्ध है कि देश के विभिन्न भागों में विशेषकर व्यस्ततम जुताई किए जाने के मौसम के दौरान उर्वरकों की अनुपलब्धता या देर से उपलब्ध होने से संबंधित अनेक रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। विभाग के अनुसार, अपने अधिदेश के अनुसार, वह राज्य सरकार स्तर तक यूरिया की आपूर्ति करता है और आईएफएमएस डैश-बोर्डो के माध्यम से किसी विशेष मौसम के लिए अपनी आवश्यकता के अनुसार राज्य स्तर पर स्टॉक उपलब्धता की निगरानी करता है। विभाग का प्रयास है कि आपूर्ति आवश्यकता से कुछ अधिक ही रहे और डैश-बोर्ड पर कलर कोड हरा तभी दिखाई देगा जब सप्लाई ज्यादा होगी। राज्य सरकारें यूरिया और अन्य उर्वरकों को अपनी वितरण योजनाओं के अनुसार वितरित करती है। उर्वरक की कमी के संबंध में कोई फीडबैक प्राप्त होने की स्थिति में विभाग हस्तक्षेप करता है और राज्य सरकार से आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने का अनुरोध करता है। समिति को यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि एक नई पहल के भाग के रूप में विभाग ने आईएफएमएस डैश-बोर्ड पर एक किसान कॉर्नर शुरू किया है, जिसमें जिले के सभी खुदरा विक्रेताओं का स्टॉक विवरण प्रदान किया गया है और किसानों को खुदरा विक्रेता जहां से उन्होंने अंतिम खरीद की थी, की स्टॉक स्थिति के संबंध में उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर में संदेश भेजा रहा है। चूंकि व्यस्ततम जुताई किए जाने के मौसम में, जब किसानों को उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है तब जमीनी स्तर पर उर्वरकों की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है। अत: , समिति यह मानती है कि, उर्वरकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सुदृढ़ व्यवस्था की जानी चाहिए। अत:, समिति सिफारिश करती है:-

(एक) विभाग को जमीनी स्तर पर निगरानी के लिए एक संस्थागत तंत्र बनाने के लिए कदम उठाने चाहिए ताकि राज्यों में किसानों को ब्लॉक और गांव स्तर तक विशेष रूप से व्यस्ततम कृषि मौसमों के दौरान उर्वरकों की समय पर पर्याप्त आपूर्ति और उपलब्धता के लिए निर्बाध और पारदर्शी आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित की जा सके।

(दो) उर्वरक विभाग और कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा साप्ताहिक संयुक्त सचिव स्तर की समीक्षा राज्य स्तरीय उपलब्धता के साथ-साथ उर्वरकों की जिला स्तरीय उपलब्धता की समीक्षा करनी

चाहिए। किसी भी जिले में किसी प्रकार की कमी होने की स्थिति में उस जिले को उर्वरकों की आपूर्ति के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं।

(तीन) वर्तमान में आईएफएम के डैश बोर्ड में कलर कोडिंग किसी विशेष राज्य के हरे रंग को तब दर्शाती है कि जब उर्वरकों की आपूर्ति आवश्यकता से अधिक होती है। राज्य स्तरीय दृष्टिकोण के बजाय, इस संबंध में जिला स्तरीय दृष्टिकोण अपनाया जाए अर्थात मानचित्र में जिले पर हरा तभी दिखाना चाहिए जब उस विशेष जिले की अपेक्षित मात्रा की आपूर्ति की जाए ताकि उर्वरकों की कमी के मामलों में तत्काल कार्रवाई की जा सके।

(चार) विभाग को इस बात की निगरानी करनी चाहिए कि क्या राज्य सरकार को कृत्रिम कमी, कालाबाजारी, जमाखोरी और स्थानीय स्तर पर आपूर्ति किए जाने वाले उर्वरकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के मामलों में उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफसीओ), 1985 के तहत आवश्यक कार्रवाई करने के लिए शक्ति प्राप्त है या नहीं। इस संबंध में उल्लंघन के मामलों में उन मामलों में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए मुख्य सचिव स्तर पर राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया जाए।

सरकार का उत्तर

2.4 जैसाकि उर्वरक विभाग के पहले के उत्तरों में उल्लिखित किया गया है यह पुन: दोहराया जाता है कि विभाग को राज्य स्तर पर सभी उर्वरकों की पर्याप्त एवं समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने का अधिदेश प्राप्त है। तथापि, राज्य के विभिन्न जिलों में उर्वरकों का संचलन संबंधित राज्य सरकारों के अधिदेश के अधीन है।

उर्वरक विभाग को कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (डीएसीएण्डएफडब्ल्यू) द्वारा आकलित राज्य-वार और माह-वार आवश्यकता के अनुसार विभिन्न उर्वरक संयंत्रों एवं पोर्ट से राजसहायता प्राप्त रासायनिक उर्वरकों के संचलन एवं वितरण को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। डीएसीएण्डएफडब्ल्यू द्वारा दिए गए माह-वार और राज्य-वार अनुमान के आधार पर उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करते हुये राज्यों को उर्वरकों की पर्याप्त/यथेष्ट मात्रा का आवंटन करता है और निम्नलिखित प्रणाली के माध्यम से उपलब्धता की लगातार निगरानी करता है।

(i) देशभर में राजसहायता प्राप्त सभी प्रमुख उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उवर्रक निगरानी प्रणाली (आईएफएमएस) नामक एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जा रही है;

(ii) राज्य सरकारों को नियमित रूप से सलाह दी जाती है कि वे अपने राज्य की संस्थागत एजेंसियों जैसे मार्कफेड आदि के माध्यम से रेलवे रेकों के लिए समय पर मांग पत्र प्रस्तुत करके आपूर्तियों को सरल बनाने के लिए उर्वरकों के विनिर्माताओं और आयातकों के साथ समन्वय करें;

(iii) कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (डीएसीएंडएफडब्ल्यू), उर्वरक विभाग (डीओएफ) और रेल मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से राज्य कृषि पदाधिकारियों के साथ नियमित साप्ताहिक वीडियो कांफ्रेंस की जाती है और उर्वरकों के भेजने के लिए राज्य सरकारों द्वारा उल्लिखित किए गए अनुसार सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

(iv) यूरिया के मामले में आकलित आवश्यकता और स्वदेशी उत्पादन के बीच के अंतर को कम करने के लिए सचिवों की संचालन समिति (एससीओएस) ने उर्वरक विभाग को यूरिया का आयात करने का प्राधिकार दिया है। पीएण्डके उर्वरकों के मामलों में यह आयात मुक्त सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के तहत आता है जहां कम्पनियां व्यवसायिक निर्णय के आधार पर आयात करने हेतु स्वतंत्र हैं।

उर्वरक विभाग सभी राज्यों में उर्वरकों की उपलब्धता की गहनता से निगरानी कर रहा है। इसके अतिरिक्त यह भी बताया जाता है कि उर्वरक विभाग द्वारा नई पहल अर्थात डैशबोर्ड की शुरूआत की गई है जिस पर उर्वरक विभाग और राज्यों से संबंधित विभिन्न विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध हैं। यह पब्लिक डोमेन में भी है। इस डैशबोर्ड के माध्यम से उर्वरक विभाग थोक विक्रेता और खुदरा विक्रेताओं के पास सभी उर्वरकों के भण्डार की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। इसके अतिरिक्त कलेक्टर डैशबोर्ड, कम्पनी डैशबोर्ड और मार्कफेड डैशबोर्ड भी है। इस प्रकार उपर्युक्त इंगित कदमों के साथ, उर्वरक विभाग सभी राज्यों में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। वर्तमान में देश में किसी भी उर्वरक की कोई कमी नहीं है।

इसके अतिरिक्त, कालाबाजारी और जमाखोरी को रोकने के लिए राज्य सरकारों को उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफसीओ), 1985 के तहत आवश्यक कदम उठाने के लिए पर्याप्त शक्ति प्रदान की गई है। उर्वरक विभाग राज्य सरकारों को नियमित रूप से अपेक्षित कदम उठाने की सलाह देता है ताकि किसानों को उचित कीमतों पर उर्वरक उपलब्ध कराया जा सके और कालाबाजारी और जमाखोरी जैसे कदाचारों पर कड़ी नज़र रखी जा सके।

सिफारिश संख्या 11

<u>उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा</u>

2.5 "समिति यह नोट करती है कि पिछले कुछ वर्षों में देश में यूरिया और अन्य रासायनिक उर्वरकों की बिक्री बढ़ी है। रासायनिक उर्वरकों की कुल बिक्री 2017-2018 में 568.29 एलएमटी थी जो 2019-2020 (पैरा 2.1) में बढ़कर 615.14 एलएमटी हो गई है। पोषकतत्व आधारित राजसहायता योजना के थर्ड पार्टी मूल्यांकन की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि पीएण्डके उर्वरकों की तुलना में यूरिया की सस्ती कीमत के कारण एन, पी और के पोषक तत्वों के असंतुलित उपयोग को नियंत्रित करने में एनबीएस नीति सफल नहीं हुई और उर्वरकों के शेष उपयोग के प्रचार के प्रयास उचित नहीं हैं। इस संबंध में, उर्वरक विभाग ने कहा है कि उसने उर्वरक पोषकतत्वों के इष्टतम उपयोग के बारे में ज्ञान का प्रचार प्रसार करने और उर्वरक उपयोग और प्रबंधन के क्षेत्र में नए विकास के बारे में किसानों को जागरूक करने के लिए 22 अक्टूबर, 2020 को डीएसीएण्डएफडब्ल्यू और डेयर (डीएआरई) के सहयोग से किसानों के लिए एक संयुक्त जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस जागरूकता अभियान को कोविड-19 महामारी के कारण राज्य कृषि विभागों और अन्य हितधारकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आउटरीच कार्यक्रमों के रूप में फिर से तैयार किया गया है। समिति का मानना है कि उर्वरकों के संतुलित उपयोग के बारे में किसानों की शिक्षा के लिए पूरे देश में जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने की आवश्यकता है क्योंकि वर्तमान में किसानों को आम तौर पर मृदा की स्थिति के साथ-साथ फसल के पैटर्न के अनुसार उर्वरकों के संतुलित उपयोग के बारे में बहुत कम जानकारी होती है। इस प्रकार, समिति ने निम्नलिखित सिफारिश की है:-

(।) उर्वरक विभाग को वर्ष भर किसानों के बीच मृदा परीक्षण और उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए लक्ष्योन्मुखी तरीके से कृषि मंत्रालय, राज्य सरकारों और अन्य एजेंसियों के संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर और भी अधिक सतत और गम्भीर प्रयास करने चाहिए;

(।।) उर्वरक पोषकतत्वों के इष्टतम और संतुलित उपयोग, मृदा उर्वरता पर इसके प्रभाव सहित उर्वरकों के असंतुलित उपयोग के दुष्प्रभाव, उर्वरक उपयोग और प्रबंधन के क्षेत्र में नए विकास आदि पर प्रत्येक फसल के मौसम की शुरूआत से पहले संयुक्त जागरूकता कार्यक्रम/राज्य/जिला-वार/आउट-रीच कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए।

(।।।) वर्तमान में मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अनुसार उर्वरक की मात्रा की खरीद केवल वैकल्पिक है। विभाग कृषि मंत्रालय, राज्य सरकारों और किसानों सहित विभिन्न हितधारकों के परामर्श से जांच कर सकता है कि क्या मृदा स्वास्थ्य कार्ड में की गई सिफारिश के अनुसार उर्वरक खरीदना अनिवार्य किया जा सकता है और तदनुसार उस पर निर्णय लिया जा सकता है।''

सरकार का उत्तर

2.6 समिति की उपर्युक्त सिफारिश के की गई कार्रवाई उत्तर में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग ने निम्नवत् कहा:-

(i), (ii) एवं (iii) उर्वरक विभाग उर्वरकों के संतुलित प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक तथा गंभीर प्रयास कर रहा है। उर्वरक अनुप्रयोग जागरूकता कार्यक्रम (एफएएपी), जोकि उर्वरक विभाग, डीएसीएण्डएफडब्ल्यू तथा डीएआरई का संयुक्त प्रयास है, इस दिशा मे उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। एफएएपी कार्यक्रम को वर्ष में दो बार अर्थात खरीफ तथा रबी फसल मौसम से पहले आयोजित किए जाने की परिकल्पना की गई है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उर्वरकों के संतुलित प्रयोग के लाभों, अपनाई जाने वाली नवीनतम पद्धतियों आदि के बारे में सूचना का प्रसार करना है। यद्यपि यह कार्यक्रम अखिल भारतीय स्तर पर कृषक समुदाय को इस प्रकार की सूचना/पद्धतियों का प्रसार सीधे प्रसारण से करता है, पहले ऐसे एफएएपी कार्यक्रम (2019) में इसे आईसीएआर इमारत में उचित व्यवस्था के साथ किया गया था, जहां किसानों की समस्याओं का जवाब देने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंधित मंत्रालयों के माननीय मंत्री, आईसीएआर के वैज्ञानिक तथा कृषक समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए नजदीकी क्षेत्रों के कुछ किसान मौजूद थे। इस प्रकार की व्यवस्था से आईसीएआर बिल्डिंग में बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई। इस वैश्विक महामारी के समय में, इस प्रकार की भीड़ एकत्र करना वांछनीय नहीं है। इस प्रकार, हालांकि संयुक्त जागरूकता कार्यक्रम को प्रत्येक खरीफ तथा रबी फसल मौसम के पहले किए जाने की परिकल्पना की गई है, वर्ष 2020 में यह आयोजित नहीं किया जा सका। तथापि, सरकार कृषक समुदाय को उर्वरकों के संतुलित प्रयोग को लाभों के बारे में जानकारी देने के लिए प्रतिबद्ध है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से कृषि मंत्रालय इस दिशा में पहले ही आवश्यक कदम उठा रहा है। जहां तक मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सिफारिशों के अनुसार उर्वरकों की खरीद को अनिवार्य बनाने अथवा नहीं बनाने, के तौर तरीकों का पता लगाने की सिफारिश का संबंध है, डीएसीएण्डएफडब्ल्यू से विचार पहले ही मांगे गए हैं।''

समिति की आगे की टिप्पणी

(कृपया इस प्रतिवेदन की पैरा संख्या 1.19 को देखें)

सिफारिश संख्या 12

बंद और रुग्ण उर्वरक इकाइयों का शीघ्र पुन:संचालन

2.7 समिति यह नोट करती है कि उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में नौ उर्वरक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सार्वजनिक उपक्रम) थे। भारत सरकार ने 2002 में उर्वरक इकाइयों के आर्थिक प्रचालनों की गैर-व्यवहार्यता के कारण हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचएफसीएल) और फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआईएल) की सभी उर्वरक इकाइयों के संचालन को बंद करने का निर्णय लिया था। इसलिए, वर्तमान में उर्वरक विभाग के सात कार्यशील सार्वजनिक उपक्रम हैं, जिनमें से एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड (फागमिल) जिप्सम के खनन में लगा हुआ है और परियोजना एवं विकास इंडिया लिमिटेड (पीडीआईएल) परामर्श और अभियांत्रिकी संगठन है और शेष पांच उर्वरक उत्पादक इकाइयां हैं। समिति को यह भी पता चला है कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल) और राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक लिमिटेड (आरसीएफ) लाभ कमाने वाली कंपनियां हैं जबकि ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (बीवीएफएल), मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एमएफएल) और फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (एफएसीटी) घाटा उठाने वाले उर्वरक पीएसयू हैं। वर्तमान में, भारत सरकार प्रमुख सार्वजनिक उपक्रमों के संयुक्त उद्यमों के गठन के माध्यम से रामागुंडम (तेलंगाना), तालचेर (ओडिशा), गोरखपुर (उत्तर प्रदेश), सिंदरी (झारखण्ड) और बरौनी (बिहार) में 1.27 एमएमटीपीए क्षमता की नई अमोनिया यूरिया इकाइयों की स्थापना करके एफसीआईएल/एचएफसीएल की 5 बंद इकाइयों को पुन: संचालित कर रही है। चूंकि परियोजनाओं का पुन: संचालन राष्ट्रीय महत्व का विषय है, इसलिए समिति यह जानकर संतुष्ट है कि विभाग के साथ-साथ नीति आयोग और प्रधानमंत्री कार्यालय इन परियोजनाओं के पुन: संचालन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए बारीकी से निगरानी कर रहे हैं और मासिक बैठकें कर रहे हैं ताकि उनका समय पर पूरा होना सुनिश्चित किया जा सके। चूंकि देश यूरिया के मामले में 25% आयात पर निर्भर है, जबकि फॉस्फेट के मामले में यह 90% है और पोटाश के मामले में यह 100% है, इसलिए एफसीआईएल और दुर्गापुर की कोरबा इकाई और एचएफसीसीएल की हल्दिया इकाइयों को पुन: संचालित किये जाने की आवश्यकता है ताकि आयात पर हमारी निर्भरता को कम किया जा सके और इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सके। इस संबंध में समिति यह समझती है कि देश में यूरिया की मांग-आपूर्ति के अंतर (पैरा 73) के आकलन के आधार पर फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआईएल) यानी फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआईएल) की चार इकाइयों जैस तालचेर, रामागुंडम, गोरखपुर और सिंदरी और हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचएफसीएल) की एक इकाई के पुन: संचालन की प्रगति को देखने के बाद कोरबा, हल्दिया और दुर्गापुर इकाइयों के पुन: संचालन पर निर्णय लिया जाएगा। विभाग के अनुसार ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड के मौजूदा परिसरों में न्यू-ब्राउनफील्ड अमोनिया-यूरिया कॉम्प्लेक्स (नामरूप-IV) की स्थापना के लिए असम सरकार को नामांकन के आधार पर समानता भागीदारी के आवंटन के संबंध में अब निर्णय लिया गया है। उपर्युक्त के संबंध में समिति निम्नलिखित सिफारिश करती है:-

(I) विभाग रामागुंडम (तेलंगाना), तालचेर (ओडिशा), गोरखपुर (उत्तर प्रदेश), सिंदरी (झारखण्ड) और बरौनी (बिहार) में एफसीआईएल/एचएफसीएल की 5 इकाइयों को बिना किसी समय ओवर-रन के निर्धारित कार्यक्रम में पूरा/चालू करने के लिए पूरा प्रयास करेगा।

(II) मांग और आपूर्ति के अंतर का समय पर आकलन करने के बाद कोरबा, हल्दिया और दुर्गापुर इकाइयों के पुन: संचालन की प्रक्रिया भी तेजी से शुरू की जाए, ताकि इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल की जा सके और राजसहायता का बोझ कम किया जा सके।

(।।।) बीवीएफसीएल के नामरूप-4 संयंत्र में निर्माण कार्य एक निश्चित समयबद्ध तरीके से सभी संबंधित पक्षों के साथ समन्वय बनाकर शीघ्र शुरू किया जाए।

<u>सरकार का उत्तर</u>

2.8 i. पुनरुद्धार परियोजनाओं की उर्वरक विभाग द्वारा गहन निगरानी की जा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन संयंत्रों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाए। परियोजनाओं की प्रगति की सचिव (उर्वरक) द्वारा मासिक आधार पर समीक्षा की जाती है तथा बैठक के दौरान ध्यान में लाए गए मामलों/शंकाओं का उचित समाधान किया जाता है। यह भी नोट किया जाए कि रामागुंडम संयंत्र ने दिनांक 22.03.2021 को यूरिया का उत्पादन शुरू कर दिया है।

ii. रामागुंडम को छोड़कर, अन्य परियोजनाओं का निर्माण कार्य अभी चल रहा है। इन पांचों संयंत्रों के चालू हो जाने के बाद देश में तकरीबन 63.5 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष क्षमता का अतिरिक्त स्वदेशी यूरिया उत्पादन होगा। इसलिए, देश में यूरिया की मांग तथा आपूर्ति के अंतर का उचित समय पर मूल्यांकन किया जाएगा तथा तदनुसार इस संबंध में उचित निर्णय लिया जाएगा।

उपर्युक्त बिंदु को अनुपालन हेतु नोट पर लिया गया है। इसके अतिरिक्त रामागुंडम ने रामागुंडम ने 22.03.2021 से अपना वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है। अन्य सभी चार पुनरुद्धार संयंत्रों अर्थात तलचर (ओडिशा), गोरखपुर (उत्तर प्रदेश), सिंदरी (झारखंड) तथा बरौनी (बिहार) के चालू हो जाने पर देश में यूरिया की मांग तथा आपूर्ति के अंतर का मूल्यांकन किया जाएगा तथा बिन्दु (ii) की सिफारिश की स्थिति की समीक्षा की जाएगी।

iii. नामांकन आधार पर साम्या भागेदारी के पुन: आवंटन पर इस प्रकार निर्णय लिया गया है:- असम सरकार-26%, मेसर्स ओआईएल-18%, बीवीएफसीएल-11%, आरसीएफ-17% तथा एनएफएल-28%। तदनुसार, एनएफएल/बीवीएफसीएल से इस विभाग को नामरूप-IV परियोजना को व्यवहार्य बनाने के लिए शीघ्रातिशीघ्र परियोजना की तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीईएफआर) तथा व्यवहार्यता अंतराल वित्त-पोषण हेतु विस्तृत मांग प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है ताकि इसके अनुमोदन के लिए इस मामले को मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।

अध्याय – तीन
टिप्पणियां/ सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती

-शून्य-

अध्याय – चार
टिप्पणियां/ सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं

सिफारिश संख्या 2

उर्वरक विभाग के लिए बीई 2021-22 में बजटीय आवंटन

4.1 ''समिति यह नोट करते हुए चिंतित है कि उर्वरक विभाग की उर्वरक राजसहायता योजनाओं के लिए प्रस्तावित बजटीय आवंटन और वित्त मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए किए गए बजटीय आवंटन में भारी अंतर है। विभिन्न उर्वरक राजसहायता योजनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 110310.40 करोड़ रुपये के प्रस्ताव की तुलना में विभाग के लिए 80011.39 करोड़ रुपये का बजट अनुमान किया गया है। समिति ने नोट किया है कि 2021-22 के चरण में यूरिया राजसहायता योजनाओं के लिए 80650.40 करोड़ रुपये की प्रस्तावित आवश्यकता की तुलना में 62797.68 करोड़ रुपये का आवंटन और पोषक तत्व आधारित राजसहायता नीति 29660.00 करोड़ रुपये की प्रस्तावित आवश्यकता की तुलना में 20762.00 करोड़ रुपये है। इस संबंध में उर्वरक विभाग द्वारा किए गए निवेदन के अनुसार 2021-22 के ब.अ. यूरिया राजसहायता के लिए 62797.68 करोड़ रुपये बीई 2020-21 से अधिक है जो 50435.00 करोड़ रुपये था। इसके अलावा यूरिया के आयात के लिए 19550.00 करोड़ रुपये का बीई बजटीय आवश्यकता पर आधारित है। विभाग के अनुसार यूरिया राजसहायता की आवश्यकता यूरिया, प्राकृतिक गैस आदि की वास्तविक खपत जैसी बातों पर निर्भर करती है और आरई 2021-22 के समय, यदि आवश्यकता होगी तो यूरिया राजसहायता के लिए अतिरिक्त के बारे में आवश्यकता वित्त मंत्रालय को बताया जाएगा। तथापि, विभाग ने कहा है कि घटे हुए आवंटन पीएडंके उर्वरक और सिटी कंपोस्ट की निधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं और आवश्यक निधियों की मांग अनुपूरक मांग और/या विशेष बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से की जाएगी। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए समिति यह पाती है कि उर्वरक राजसहायता योजनाओं के संबंध में निधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कम आवंटन पर्याप्त नहीं होगा और अंतत: उर्वरक कंपनियों को भुगतान में देरी होगी जिससे उनके वित्तीय प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि उर्वरक विभाग अपनी बजटीय योजना को मजबूत करे ताकि उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप बजटीय आवंटन हो सके, बीई चरण में आवंटित निधियों के समय पर और इष्टतम उपयोग के लिए ठोस कदम उठाए जाएं और यूरिया और एनबीएस राजसहायता योजनाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होने की स्थिति में आरई चरण में अपेक्षित धनराशि के आवंटन के लिए वित्त मंत्रालय के समक्ष समय पर प्रस्ताव रखा जा सके। समिति को उम्मीद है कि विभाग 2021-22 के दौरान उक्त सिफारिशों का अक्षरश: पालन करेगा और आरई चरण में विभाग के राजसहायता बजट के तहत आवश्यक अतिरिक्त निधि के आवंटन के लिए वित्त मंत्रालय को आश्वस्त करने के लिए गंभीर प्रयास करेगा। समिति ने वित्त मंत्रालय से यह भी आग्रह किया है कि वह अग्रनीत देनदारियों को समाप्त करने के लिए 2020-21 के दौरान इसके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को जारी रखे और यूरिया राजसहायता और एनबीएस योजनाओं के लिए उर्वरक विभाग द्वारा आवश्यक अतिरिक्त धनराशि 2021-22 के आरई चरण में आवंटित करे क्योंकि अग्रेनीत देनदारियों को एकत्रित करना और उर्वरक इकाइयों को राजसहायता भुगतान करने के लिए विशेष बैंकिंग व्यवस्था की बाद में आवश्यकता वित्तीय रूप से विकेकपूर्ण उपाय नहीं है। इस सिफारिश के अनुपालन के लिए वित्त मंत्रालय को भी सूचित किया जाए।''

सरकार का उत्तर

4.2 एफआईसीसी ने बजट अनुमान 2021-22 के लिए स्वदेशी यूरिया हेतु 61089.00 करोड़ रु. की मांग प्रस्तावित की थी परंतु केवल 43236.28 करोड़ रु. ही आवंटित किए गए हैं। एफआईसीसी ने विद्यमान गैस कीमत और विनिमय दर को ध्यान में रखते हुए बजट प्राक्कलनों की आवश्यकता का अनुमान लगाया है। अतिरिक्त निधि की आवश्यकता, यदि कोई हो, का पुन: आंकलन 2021-22 के लिए संशोधित प्राक्कलनों के समय किया जाएगा और संशोधित अनुमान स्तर पर मांग की जाएगी।

समिति की आगे की टिप्पणी

(कृपया इस प्रतिवेदन की पैरा संख्या 1.10 देखें)

सिफारिश संख्या 13

<u>नैनो उर्वरकों को बढ़ावा</u>

4.3 "समिति यह नोट करती है कि राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक लिमिटेड (आरसीएफ) और भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी लिमिटेड (इफको) के पास नैनो उर्वरक है। हालांकि पूर्व के नैनो फर्टिलाइजर का परीक्षण अभी बाकी है, लेकिन बाद में नैनो फर्टिलाइजर के उत्पादन की तैयारी चल रही है। इस संबंध में हाल ही में उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के तहत अधिसूचना जारी की गई है। हालांकि नैनो टेक्नोलॉजी के साथ मुख्य चुनौती डिलीवरी सिस्टम है। पारंपरिक उर्वरक हस्त तंत्र द्वारा दिए जाते हैं लेकिन नैनो उर्वरकों के मामले में किसानों को सिंचाई हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले जल में उर्वरक घोल कर प्रयोग करने (फर्टिगेशन) की जरूरत होती है। किसानों के बीच फर्टिगेशन को बढ़ावा देने के लिए पहले से ही एक मौजूदा योजना है। इसे किसानों के बीच फैलाने के लिए नैनो फर्टिलाइजर और फर्टिलाइजेशन तकनीक दोनों को एक दूसरे से परस्पर जुड़ना होगा।

यह रासायनिक उर्वरकों की तुलना में भी कम महंगा है। और, इससे उर्वरक उपयोग में भी 50 प्रतिशत की कमी आएगी जिसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा की बचत होगी। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि विभाग को रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए बड़े पैमाने पर देश में नैनो उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए एक योजना तैयार करनी चाहिए। नैनो उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए अलग से बजटीय आवंटन पर भी विचार किया जा सकता है।"

<u>सरकार का उत्तर</u>

4.4 भारत सरकार का प्रयास कृषि के क्षेत्र में नवोन्मेष को प्रोत्साहित करना है। तथापि, कृषि, सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग ने उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 में नैनो यूरिया को नैनो नाइट्रोजन उर्वरक के रूप में अधिसूचित किया है। उर्वरक (इनआर्गेनिक, आर्गेनिक अथवा मिश्रित) नियंत्रण आदेश, 1985 के खंड 20 घ के तहत अधिसूचना जारी की गई है जिसमें इफको को अधिसूचना जारी होने की तिथि से तीन वर्षों की अवधि हेतु नैनो यूरिया का उत्पादन करने की अनुमति दी गई है। उर्वरक विभाग शहरी कंपोस्ट के संवर्धन संबंधी नीति को बढ़ावा दे रहा है जिसके तहत शहरी कंपोस्ट को बढ़ावा देने के लिए विपणन विकास सहायता (एडीए) के भुगतान हेतु बजटीय आवंटन किया गया है। वर्तमान में इस विभाग में नैनो उर्वरक के संवर्धन हेतु अलग से बजटीय आवंटन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

समिति की आगे की टिप्पणी

(कृपया इस प्रतिवेदन की पैरा संख्या 1.22 देखें)

अध्याय पांच

टिप्पणियां/ सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं

सिफारिश संख्या 3

5.1 <u>उर्वरकों में आत्मनिर्भरता के लिए अनुसंधान और विकास के लिए एक अलग बजटीय योजना शीर्ष के आवंटन की आवश्यकता</u>

''समिति यह नोट करती है कि उर्वरक क्षेत्र में अनुसंधान और विकास गतिविधियों को बढ़ाने की सख्त आवश्यकता है ताकि स्वदेशी उर्वरक उत्पादन प्रौद्योगिकी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। दुर्भाग्यवश, उर्वरक विभाग के बीई 2021-22 में अनुसंधान एवं विकास के लिए कोई बजटीय आवंटन नहीं किया गया है। समिति ने पाया कि उर्वरक विभाग के अंतर्गत उर्वरक सीपीएसई द्वारा भारतीय उर्वरक एवं उर्वरक पोषक अनुसंधान परिषद (आईसीएफएफटीआर) का गठन किया गया है जिसका उद्देश्य उर्वरक एवं उर्वरक निर्माण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान करना, कच्चे माल का उपयोग, उर्वरक उत्पादों में नवाचार आदि है। आईसीएफएफटीआर में सचिव, उर्वरक विभाग (डीओएफ) की अध्यक्षता वाली शासी परिषद शामिल है लेकिन डीओएफ ने आईसीएफएफटीआर को कोई निधि आवंटित नहीं की है। इस संबंध में, समिति डीओएफ की अनुदान मांगों में अनुसंधान और विकास के लिए बजटीय शीर्ष को रोक देने को नोट करके बहुत चिंतित है। डीओएफ के अनुसार, वह अनुसंधान और विकास के लिए एक अलग बजट शीर्ष के आवंटन के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। हालांकि वित्त मंत्रालय इस प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुआ और विभाग को सलाह दी कि वह पहले अनुदान के लिए अनुपूरक मांगों के पहले बैच के माध्यम से संसद की मंजूरी ले। तदनुसार, अनुदान के लिए अनुपूरक मांगों के पहले बैच में सांकेतिक अनुपूरक की मांग करने वाले प्रस्ताव को शामिल किया गया था लेकिन वित्त मंत्रालय द्वारा इसे शामिल नहीं किया गया था। विभाग ने अनुदान की अनुपूरक मांग के दूसरे बैच में फिर से सांकेतिक अनुपूरक को शामिल किया है। इस संबंध में अभी भी वित्त मंत्रालय से जानकारी प्रतीक्षित है। समिति का मानना है कि अपने अनुसंधान एवं विकास प्रयासों में आईसीएफएफटीआर को वित्तीय सहायता देना बहुत आवश्यक है ताकि इसके उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके और उर्वरक क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास में लगे अन्य लोगों की पहलों को भी प्रोत्साहित किया जा सके जिसमें नैनो-उर्वरकों के विकास, कीटनाशक लेपित धीमी गति से छोड़ जाने वाले उर्वरक, जैव और जैविक उर्वरक आदि शमिल हैं। समिति ने उर्वरक विभाग की अनुदान मांगों में अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) के लिए अलग बजटीय शीर्ष को शामिल करने में वित्त मंत्रालय की ओर से की गई देरी को गलत बताते हुए अपनी पूर्व सिफारिश को पुरजोर तरीके से दोहराया कि उर्वरक विभाग को अनुसंधान और विकास के लिए अलग बजटीय शीर्ष को शामिल करने और इस उद्देश्य से पर्याप्त धनराशि के आवंटन के लिए आरई 2021-22 के बाद उच्चतम स्तर पर वित्त मंत्रालय के समक्ष इस मामले को उठाना चाहिए ताकि स्वदेशी उर्वरक उद्योग के अनुसंधान और विकास के प्रयासों को बढ़ावा दिया जा सके ताकि इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी उर्वरक विनिर्माण प्रौद्योगिकी बनाया जा सके। इस समिति द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं से वित्त मंत्रालय को भी अवगत कराया जाए। समिति इस संबंध में की गई प्रगति से अवगत होना चाहेगी।''

<u>सरकार का उत्तर</u>

5.2 ''बीवीएफसीएल तथा आरएंडडी बजट शीर्ष के लिए उर्वरक विभाग द्वारा अनुरोध किये गए टोकन अनुदान को आर्थिक कार्य विभाग द्वारा संसद में प्रस्तुत पूरक अनुदान मांग 2021-22 के प्रथम बैच में शामिल कर लिया गया है। बीवीएफसीएल के लिए बजट शीर्षों का अनुमोदन पहले ही प्राप्त कर लिया गया है।

आरएंडडी संबंधी बजट शीर्ष खोलने/पुन: चालू करने संबंधी प्रस्ताव को आर्थिक कार्य विभाग को अनुमोदनार्थ भेजा जा रहा है।''

सिफारिश संख्या 4

उर्वरकों के उत्पादन के लिए कच्चे माल के आयात पर सीमा शुल्क में छूट

5.3 ''समिति ने नोट किया है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 336.97 एलएमटी की बिक्री की तुलना में देश में यूरिया का वास्तविक उत्पादन 244.55 एलएमटी था। मांग और उत्पादन के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए 91.99 एलएमटी यूरिया का आयात करना पड़ा। पीएंडके फर्टिलाइजर्स (डीएपी+ए/एस+कॉम्प्लेक्स+एसएसपी) की 234.13 एलएमटी की बिक्री की तुलना में, वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान देश में वास्तविक उत्पादन 181.36 एलएमटी था। किसानों की मांगों को पूरा करने के लिए पीएंडके उर्वरकों की 91.74 एलएमटी आयातित की गई थी। इसके अलावा, समिति ने नोट किया कि 2019-20 के दौरान यूरिया का वास्तविक उत्पादन स्थापित क्षमता से अधिक रहा है। तथापि, पीएंडके उर्वरकों का वास्तविक उत्पादन 2019-20 के दौरान स्थापित क्षमता की तुलना में बहुत कम है। वर्तमान में, देश में यूरिया का निर्माण करने वाले 32 बड़े आकार के यूरिया संयंत्र हैं, डीएपी और काम्पलेक्स उर्वरकों का उत्पादन करने वाली 19 इकाइयां और अमोनियम सल्फेट को उप-उत्पाद के रूप में विनिर्माण करने वाली 2 इकाइयां हैं (पैरा 1.4)। तथापि, देश संसाधनों की अनुपलब्धता/दुर्लभ उपलब्धता के कारण तैयार उर्वरकों या उनके कच्चे माल के रूप में विभिन्न उर्वरकों के आयात पर निर्भर है। फॉस्फेटिक उर्वरकों के मामले में निर्भरता 90% तक और पोटेशियम उर्वरकों के मामले में 100% तक है। समिति का मानना है कि पीएंडके कच्चे माल की अनुपलब्धता पीएंडके उर्वरकों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने में प्रमुख बाधा है। यद्यपि देश में यूरिया और पी एंड के उर्वरकों दोनों के आयात पर भारी वित्तीय बोझ का सामना कर रहा है, फिर भी समिति उर्वरकों के निर्माण के लिए कच्चे माल पर बुनियादी सीमा शुल्क लगाने के कारणों को समझने में विफल रही है। इस संबंध में उर्वरक विभाग ने वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया है कि वह अमोनिया, फॉस्फोरिक एसिड, रॉक फॉस्फेट, सल्फर, सल्फ्यूरिक एसिड, यूरिया (इनपुट के रूप में) एमओपी (पोटाश की मुरीट) (इनपुट के रूप में) विभिन्न उर्वरकों के निर्माण के लिए मध्यवर्ती और कच्चे माल पर 1 प्रतिशत मामूली दर पर या बुनियादी सीमा शुल्क (बीसीडी) की छूट प्रदान करे। देश की खाद्य सुरक्षा के लिए उर्वरकों के रणनीतिक महत्व को देखते हुए समिति का मानना है कि स्वदेशी उर्वरक उत्पादन को शून्य या कम बीसीडी के रूप में प्रोत्साहित करने की जरूरत है ताकि उर्वरकों की उत्पादन लागत को कम किया जा सके और देश में उर्वरक संयंत्रों का इष्टतम क्षमता उपयोग हासिल किया जा सके। इससे उर्वरकों का संतुलित उपयोग भी होगा क्योंकि इससे किसान कम कीमतों के कारण अधिक पीएंडके के उर्वरक खरीद सकेंगे। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए समिति इस बात की पुरजोर सिफारिश करती है कि विभाग उर्वरक कच्चे माल पर बुनियादी सीमा शुल्क (बीसीडी) की छूट देने या 1 प्रतिशत की नाममात्र की दर लगाने के लिए वित्त मंत्रालय पर दवाब बनाने के लिए ईमानदार और पुरजोर पहल करे जिससे घरेलू उर्वरक उत्पादन में वृद्धि हो सकेगी और आयात पर होने वाले खर्च में कटौती हो सकेगी। समिति इस संबंध में किए गए उपायों से अवगत होना चाहेगी।''

सरकार का उत्तर

5.4 ''पीएंडके उर्वरक एक नियंत्रणमुक्त वस्तु है। पीएंडके उर्वरक उद्योग अपने वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य निबंधनों के अनुसार अपने नीतिगत निर्णय लेता है। पीएंडके उद्योग के सामने विभिन्न मुद्दे आए जिससे ये

प्रतिस्पर्धा में पिछड़ गए। ऐसे मुद्दों में से एक इनवर्टेड सीमा शुल्क संरचना की मौजूदगी है। कच्ची सामग्री (अर्थात अमोनिया, फॉस्फोरिक अम्ल, सलफ्यूरिक अम्ल, यूरिया और एमओपी) पर बुनियादी सीमा शुल्क (बीसीडी), रॉक फॉस्फेट एवं सल्फर को छोड़कर जिस परयह 2.5% है, तैयार उर्वरकों पर बीसीडी के समान ही 5% है। हमारे उर्वरक उद्योग की प्रतिस्पर्धा क्षमता को प्रोत्साहित करने और सुधार करने के लिए, उर्वरक विभाग ने सचिव (उर्वरक) की ओर से सचिव (वित्त) को अ.शा. पत्र सं. 16050/3/2020-पीएमआई-।के जरिये दिनांक 20.11.2020 को, राज्य मंत्री (रसायन एवं उर्वरक) की ओर से वित्त मंत्री को दिनांक 15.02.2021को और पुन: मंत्री (रसायन एवं उर्वरक) की ओर से वित्त मंत्री को दिनांक 30.03.2021 को उर्वरकों के विनिर्माण हेतु कच्ची सामग्री, नामत: अमोनिया, फॉस्फोरिक अम्ल, रॉक फॉस्फेट, सल्फर, सल्फ्यूरिक अम्ल, यूरिया (आदान के रूप में), एमओपी (आदान के रूप में) पर बीसीडी से छूट देने अथवा उसे 1% की नाममात्र दर पर रखने के लिए अनुरोध किया था। इससे हमारे घरेलू उर्वरक उद्योग की प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ेगी और आत्म-निर्भर भारत मिशन को भी बढ़ावा मिलेगा। इस मामले पर वित्त मंत्रालय का उत्तर अभी प्रतीक्षित है।

उर्वरक उत्पादन के आंकड़े नीचे दिए गए हैं:

पैरा 2.6

VII उर्वरक उत्पादन के रुझान

(आंकड़े 'एलएमटी में')

	वर्ष	उर्वरकों का प्रकार					
		यूरिया	डीएपी	एनपीके	एसएसपी	कुल	
	2017-18	240.23	46.5	88.14	38.75	413.62	
	2018-19	238.99	38.99	95.15	40.72	413.85	
	2019-20	244.55	45.5	93.34	42.53	425.92	
	2020-21	246.03	37.74	100.54	49.35	433.66	

एनपीके में ए/एस और मिश्रित उर्वरक शामिल हैं

पैरा 2.7 (आंकड़े 'एलएमटी में')

क्र.सं.	सेक्टर	2019-20			2020-21		
		यूरिया	डीएपी	मिश्रित उर्वरक	यूरिया	डीएपी	मिश्रित उर्वरक
1	**सार्वजनिक**	65.75		14.81	66.63		14.54
2	**सहकारी**	72.05	20.93	21.65	69.99	19.24	23.48
3	**निजी**	106.75	24.58	50.15	109.42	18.5	55.1
कुल		244.55	45.51	86.61	246.04	37.74	93.12

सिफारिश संख्या 5

<u>पीएंडके उर्वरकों का अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी)</u>

5.5 ''समिति ने नोट किया है कि सरकार ने उर्वरकों का संतुलित उपयोग सुनिश्चित करने, स्वदेशी उर्वरक उद्योग के विकास को बढ़ावा देने, कृषि उत्पादकता में सुधार करने और राजसहायता के बोझ को कम करने के उद्देश्य से फॉस्फेटिक और पोटैशिक (पीएंडके) उर्वरकों के लिए 1.4.2010 से पोषक तत्व आधारित राजसहायता

नीति लागू की है। नीति के तहत, राजसहायता की एक निश्चित राशि, जो वार्षिक आधार पर तय की जाती है, राजसहायता वाले पीएंडके उर्वरकों पर प्रदान की जाती है, जो किसानों को कम मूल्य पर इन उर्वरकों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उनके पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर प्रदान की जाती है। इस नीति के तहत उर्वरक कंपनियों द्वारा उचित स्तर पर बाजार की गतिशीलता के अनुसार एमआरपी तय की जाती है। उर्वरक विभाग द्वारा किए गए तीसरे पक्ष के मूल्यांकन की रिपोर्ट में यह देखा गया है कि 45 प्रतिशत किसानों ने पीएंडके सामग्री के बहुत अधिक मंहगे होने की सूचना दी है और 46 प्रतिशत किसानों ने बताया कि पीएंडके सामग्री एमआरपी पर उपलब्ध नहीं है। उपर्युक्त टिप्पणियों के संबंध में उर्वरक विभाग ने कहा है कि अधिकांश किसानों को यह महसूस नहीं होता कि पीएंडके उर्वरक बहुत महंगे हैं या एमआरपी पर उपलब्ध नहीं है। विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर से समिति आश्वस्त नहीं है। हालांकि विभाग ने यथोचित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं जिसमें इन पीएंडके उर्वरकों की उत्पादन लागत के आधार पर अंतिम पीएंडके उत्पाद की एमआरपी के यथोचित होने का मूल्याकंन किया जा रहा है। इस संबंध में समिति ने नोट किया है कि एक ओर सरकार द्वारा यूरिया की एमआरपी सांविधिक रूप से निर्धारित की जाती है और दूसरी ओर पीएंडके उर्वरकों की एमआरपी निर्धारित करने का निर्णय बाजार की ताकतों पर छोड़ दिया जाता है जिसके परिणामस्वरूप पीएंडके उर्वरकों की कीमतें अधिक होती हैं। इस प्रकार, किसानों को यूरिया सस्ता लगता है और पीएण्डके उर्वरकों की तुलना में अधिक यूरिया का उपयोग करते हैं। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि उर्वरक विभाग इस योजना के तहत पोषक तत्व आधारित राजसहायता प्राप्त करने के बाद भी उर्वरक कंपनियों द्वारा निर्धारित अनुचित एमआरपी के संदर्भ में विशेष रूप से एनबीएस नीति का गहन अध्ययन करे और योजना के तहत की गई राजसहायता के अनुसार पीएंडके उर्वरकों की एमआरपी का औचित्य सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करे।**"**

<u>सरकार का उत्तर</u>

5.6 ''एनबीएस स्कीम का मूल्यांकन तृतीय पक्ष द्वारा किया गया है और सचिव (उर्वरक) द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया है। ईएफसी प्रस्ताव के साथ रिपोर्ट के परिणामों को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को उनकी टिप्पणियों के लिए अग्रेषित किया गया है। मंत्रालयों/विभागों ने भी अपनी टिप्पणियां दे दी हैं। उर्वरक विभाग फाइनल ईएफसी प्रस्ताव तैयार करने के अंतिम चरण में है जिसमें इसके अनुमोदन हेतु तृतीय पक्ष मूल्यांकन के परिणाम शामिल हैं।

पीएंडके उत्पादों के एमआरपी की तर्कसंगतता संबंधी प्रारूप दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दे दिया गया है जिसमें तर्कसंगतता दिशा-निर्देश संबंधी समीक्षा समिति द्वारा आवश्यक विचार-विमर्श और सिफारिश के बाद पिछले दिशा-निर्देशों में थोड़ा संशोधन किया गया है। अद्यतन दिशा-निर्देशों पर माननीय मंत्री (रसायन एवं उर्वरक) की सहमति अभी प्राप्त होनी है, प्रारूप अद्यतन दिशा-निर्देशों को व्यय विभाग को उनकी टिप्पणियों और पुष्टि के लिए अग्रेषित किया गया है।''

सिफारिश संख्या 6

<u>पीएंडके उर्वरकों की घरेलू आवश्यकता को पूरा करने के लिए विदेशों में सह-उद्यमों को प्रोत्साहित करने की पहल</u>

5.7 "समिति यह नोट करती है कि वर्तमान में आयात पर भारत की निर्भरता यूरिया संबंधी हमारी आवश्यकता के 25 प्रतिशत तक, फॉस्फेट के संबंध में 90 प्रतिशत, चाहे तो वह कच्चे माल या तैयार उर्वरकों (डीएपी/एमएपी/टीएसपी) के रूप में हो और पोटाश के संबंध में 100 प्रतिशत तक है। समिति यह भी नोट

करती है कि सरकार भारतीय कंपनियों को उन देशों में सहउद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है जो क्रय द्वारा वापस लेने संबंधी व्यवस्था (बाय बेक अरेंजमेंट) के साथ-साथ उत्पादन सुविधाओं के लिए उर्वरक संसाधनों से समृद्ध हैं और भारत को उर्वरकों और उर्वरक आदानों की आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक समझौता करना चाहते हैं। समिति को यह भी पता चला कि अब तक उर्वरक विभाग ने पिछले वर्षों के दौरान पांच देशों के साथ विदेशों में सह उद्यम शुरू किए हैं। इसके अतिरिक्त, विभाग विदेशों में उर्वरक संबंधी कच्चे माल को प्राप्त करने के लक्ष्य से भी काम कर रहा है। वर्तमान में उर्वरक विभाग के पास उर्वरक कंपनियों के लिए अन्य संसाधन संपन्न देशों में सहउद्यम बनाने के लिए कोई प्रोत्साहन योजना नहीं है, ताकि इसकी नियमित आपूर्ति को सुनिश्चित किया जा सके। तथापि, कंपनियों से प्राप्त गैर-वित्तीय सहायता के अनुरोधों के मामलों में, विभाग उनके समक्ष आ रही बाधाओं को कम करने और विदेशों में भारतीय मिशनों और विदेश मंत्रालय के माध्यम से उन्हें यथा संभव सहायता प्रदान करने के प्रयास कर रहा है। उर्वरक विभाग के अनुसार, उर्वरक विभाग के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से इक्विटी भागीदारी वाली कोई सहउद्यम परियोजना पिछले तीन वर्षों में स्थापित नहीं की गई है और निकट भविष्य में ऐसी कोई परियोजना प्रस्तावित नहीं है। वर्ष 2020-21 के दौरान विभाग द्वारा किसी भी देश के साथ सहउद्यम पर हस्ताक्षर नहीं किए गए लेकिन उर्वरक क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग से संबंधित कई बड़े कार्य हुए हैं। चूंकि देश में पीएंडके उर्वरकों और उससे संबंधित कच्चे माल दोनों पर अत्यधिक निर्भरता है, इसलिए समिति यह सिफारिश करती है कि विभाग, पीएंडके उर्वरकों और उनके कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए दीर्घकालिक क्रय द्वारा वापस लेने संबंधी व्यवस्था (बाय बेक अरेंजमेंट) सहित नई सहउद्यम परियोजनाओं की स्थापना के लिए ईमानदारी पूर्वक और सटीक प्रयास करे। इस संबंध में, विभाग सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र को विदेशों में ऐसे संयुक्त उद्यमों की स्थापना के लिए आगे आने हेतु प्रोत्साहित कर सकता है और उन्हें इस उद्देश्य के लिए सभी सहायता प्रदान कर सकता है। विदेशों में पीएंडके उर्वरकों के कच्चे माल के अधिग्रहण और देश में उर्वरकों के निर्माण को भी आवश्यक महत्व दिया जाए ताकि देश में पीएंडके उर्वरकों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके, देश में रोजगार पैदा किया जा सके और देश में पीएंडके उर्वरकों की लागत को कम किया जा सके। समिति यह भी सिफारिश करती है कि इस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए उत्सुक सरकारी और निजी कंपनियों को एक निश्चित अभिविन्यास देने हेतु विदेशों में सह-उद्यमों के पूरे मामले, खानों और कच्चे माल का अधिग्रहण आदि में उर्वरक विभाग द्वारा एक निश्चित फ्रेमवर्क तैयार किया जाए। समिति मानती है कि क्रय द्वारा वापस लेने संबंधी व्यवस्था (बाय बेक अरेंजमेंट) के साथ विदेशों में सहउद्यम स्थापित करने से देश में पीएंडके उर्वरकों की किसी भी कमी और कीमतों में उतार-चढ़ाव को रोका जा सकता है जिससे सब्सिडी शीर्ष पर बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत सुनिश्चित हो सकती है।''

सरकार का उत्तर

5.8 ''भारतीय उर्वरक कम्पनियों द्वारा विदेश से कच्चे माल की प्राप्ति और सरकार की भूमिका को सुदृढ़ करने के लिए एनआईएईपीआर को भारतीय उर्वरक कम्पनियों द्वारा विदेश से कच्चे माल की प्राप्ति और सरकार की भूमिका के लिए नीति बनाने हेतु अध्ययन सौंपा गया था। एनआईएईपीआर ने अपनी अंतिम रिपोर्ट (पताका-'क') प्रस्तुत कर दी है। इस पर विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव (गल्फ), संयुक्त सचिव (यूरेशिया) और संयुक्त सचिव (डीपीए-।), एफएआई, एनएफएल, आरसीएफ, इफको, सीआईएल, कृभको और जीएसएफसी की टिप्पणियां प्राप्त कर ली गई हैं। अध्ययन रिपोर्ट और इस पर विभिन्न संगठनों की टिप्पणियों के आधार पर भारतीय उर्वरक कम्पनियों द्वारा विदेश से कच्चे माल की प्राप्ति और सरकार की भूमिका के लिए प्रारूप दिशा-निर्देश तैयार कर लिए गए हैं और यह विचाराधीन हैं।''

समिति की आगे की टिप्पणी

(कृपया इस प्रतिवेदन की पैरा संख्या 1.13 देखें)

सिफारिश संख्या 7

<u>सिटी कंपोस्ट के उत्पादन और उपयोग को बढ़ाने के लिए समयबद्ध कार्य योजना तैयार करना</u>

5.9 "समिति यह नोट करके चिंतित है कि पोषक तत्व आधारित राजसहायता नीति (एम.एच.2401) योजना के तहत वर्ष 2021-22 के लिए वर्ष 20762.00 करोड़ रुपये के कुल बाजटीय आवंटन में से केवल 42.00 करोड़ रुपये ही सिटी कंपोस्ट के लिए आवंटित किए गए हैं। यह 2021-22 के लिए पोषक तत्व आधारित राजसहायता नीति के कुल बजट का केवल 0.20% है। वर्ष 2019-20 और 2020-21 दोनों में ही यह मात्र 0.12 प्रतिशत था। यह विडबंना है कि कंपोंस्टिंग की बड़ी क्षमता होने के बावजूद, जैसा कि भारतीय शहरों से 30% से 70% तक जैव अपघटीय अपशिष्ट वाला 1.5 लाख टन ठोस अपशिष्ट प्रतिदिन निकल रहा है और यह कंपोस्ट मृदा के लिए लाभकारी है, देश में 5 प्रतिशत से कम जैव अपशिष्ट को ही कंपोस्ट में बदला जाता है। चर्चा के दौरान इसे 60 फीसद तक बढ़ाने का सुझाव दिया गया। इस संबंध में, यहां यह नोट करना भी प्रासंगिक है कि रासायनिक उर्वरकों के संतुलित और सतत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 2003 में गठित एक कार्यबल ने यूरिया बैग के साथ जैव उर्वरकों की बंडलिंग करने का सुझाव दिया है। अत:, समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय, पोषक तत्व आधारित राजसहायता नीति के तहत सिटी कंपोस्ट के लिए बजटीय आवंटन के अनुपात को बढ़ाने के लिए कार्रवाई करे ताकि भारत में प्रतिवर्ष उत्पन्न होने वाले कुल शहरी कचरे के कम से कम 60 प्रतिशत सिटी कंपोस्ट में बदलने के लक्ष्य को पूरा किया जा सके। आगे यह भी सिफारिश की गई है कि इस लक्ष्य को समयबद्ध तरीके से प्राप्त करने के लिए तत्काल एक कार्य योजना बनाई जाए।**"**

<u>सरकार का उत्तर</u>

5.10 ''वर्ष 2020-21 के दौरान बजट अनुमान (बीई) में शहरी कम्पोस्ट हेतु 42.00 करोड़ रुपए की निधि आवंटित की गई है। तथापि, निधियों की आवश्यकता के आधार पर अनुपूरक मांग के द्वारा शहरी कम्पोस्ट हेतु बजटीय आवंटन बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। उपर्युक्त पैरा के संबंध में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से भी इनपुट्स मांगे गए थे। उनका उत्तर प्रतीक्षित है।''

सिफारिश संख्या 8

<u>सिटी कंपोस्ट के उत्पादन को गति देने के लिए अधिक धनराशि के आवंटन की आवश्यकता</u>

5.11 ''समिति यह नोट करती है कि यूरिया के उत्पादन की औसत लागत लगभग 17690 रुपये प्रति मीट्रिक टन (2020-21 की पहली तिमाही) है और उत्पादन लागत का लगभग 71 प्रतिशत राजसहायता का है। यह यूरिया के लिए 12559.90 रुपये प्रति मीट्रिक टन (अर्थात 17690X71) है, जबकि यह 10.02.2016 से सिटी कंपोस्ट के उत्पादन और खपत बढ़ाने के लिए बाजार विकास सहायता (एमडीए) के तहत केवल 1500 रुपये प्रति मीट्रिक टन है। यह राजसहायता किसानों के लिए नहीं है। यह खाद निर्माताओं और उर्वरक निर्माताओं के लिए है। उर्वरक निर्माताओं को सिटी कंपोस्ट के सह-विपणन और राजसहायता का दावा करने की अनुमति दी जाती है। इतना ही नही, एमडीए निधि की बड़ी मात्रा किसी भी समय रोकी जा सकती है जैसा कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि वर्ष 2020-21 (31.1.21 की स्थिति के अनुसार) 2019-20 और 2018-19 के दौरान 294017.40 मीट्रिक टन, 324598.45 मीट्रिक टन, 306630.43 मीट्रिक टन कंपोस्ट की बिक्री के तुलना में क्रमश: केवल 36.00 करोड़ रुपये, 32.00 करोड़ रुपये, 10.00 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। समिति मानती है कि ऐसा बजट

में आवंटित अपर्याप्त धनराशि, अव्यवहारिक भुगतान प्रक्रिया, सिटी कंपोस्ट के परीक्षण के लिए प्रयोगशालाओं जैसी अवसंरचनात्मक सहायता की कमी, किसानों के बीच जागरूकता की कमी, केन्द्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के और केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों अर्थात उर्वरक एवं रसायन मंत्रालय का उर्वरक विभाग, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय और कृषि मंत्रालय के बीच समन्वय के अभाव के कारण भी है। यह भी पता चला है कि सिटी कंपोस्ट के समन्वय और संवर्धन के लिए केवल 12 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने राज्य स्तरीय संचालन समिति का गठन किया है। विगत वर्ष में इसमें केवल 11 राज्य थे। इस प्रकार, एक वर्ष में केवल 01 राज्य/यूटी की वृद्धि हुई है। इस संबंध में समिति यह सिफारिश करती है कि सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य स्तरीय संचालन समिति का गठन के लिए विभिन्न हितधारकों द्वारा ठोस प्रयास किए जाने चाहिए। समिति आगे सिफारिश यह करती है कि बाजार विकास सहायता (एमडीए) की भुगतान प्रक्रिया को इस तरह से सरल बनाया जाना चाहिए कि संबंधित प्राधिकारियों को प्रस्तुत दावे की तारीख से उचित समयावधि के भीतर निधि संबंधित को जारी की जाए; राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों में नए स्थापित किए जाएं और यदि आवश्यक हो तो सिटी कंपोस्ट के परीक्षण के लिए मौजूदा प्रयोगशालाओं की क्षमता आदि में वृद्धि की जाए और स्थानीय नगर निकायों को लैंडफिल साइटों की पहचान करने में सिटी कपोस्ट विनिर्माताओं के साथ सहयोग करना चाहिए। समिति आगे यह सिफारिश करती है कि किसानों को रासायनिक उर्वरकों के साथ-साथ सिटी कंपोस्ट के उचित अनुपात का उपयोग करने के लिए टोकन प्रोत्साहन भी दिया जाए। जहां तक सिटी कंपोस्ट के लाभों के संबंध में किसानों के बीच जागरूकता उत्पन्न करने का संबंध है, समिति यह जानकर प्रसन्न है कि किसानों में पर्याप्त जागरूकता है जैसा कि सिटी कपोस्ट की मांग के क्रमिक वृद्धि से स्पष्ट है जिसके परिणामस्वरूप भारत में सिटी कंपोस्ट की कमी है। वर्ष 2018-19 में 7249.77 मीट्रिक टन और 2020-21 में 95668.5 मीट्रिक टन (31.01.2021 तक) की कमी थी। हालांकि वर्ष 2019-20 के दौरान 1017.86 मीट्रिक टन का अधिशेष था, जो नाममात्र का था। अत:, समिति मानती है कि अधिक निधि आवंटन के माध्यम से किसानों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सिटी कंपोस्ट के उत्पादन को बढ़ाने और शहर के अपशिष्ट को सिटी कंपोस्ट में बदलने के लिए अवसंरचना संबंधी और अन्य बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता है, विशेष रूप से तब जब भारतीय शहर ही अपशिष्ट उत्पन्न कर रहे हैं, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, प्रतिदिन 15 लाख टन ठोस कचरा उत्पन्न होता है जिसमें से 30 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक जो जैव अपघटनीय होता है।''

सरकार का उत्तर

1. ''आज की तिथि में अब तक 14 राज्य संघ राज्यक्षेत्रों अर्थात उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मिज़ोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, जम्मू एवं कश्मीर, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, हिमाचल प्रदेश, मेघालय और गोवा ने संचालन समिति का गठन किया है। राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को राज्य स्तरीय संचालन समिति का गठन करने के लिए समय-समय पर स्मरण कराया जा रहा है। सचिव स्तर के अ.शा.पत्रों के माध्यम से संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों को संचालन समिति का गठन करने का अनुरोध किया गया है। हाल ही में इस वर्ष जून, 2021 में शेष राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को समिति का गठन करने के अनुरोध के साथ अनुस्मारक भेजा गया।

2. उर्वरक विभाग द्वारा जारी दिनांक 10.10.2016 और 09.01.2017 के दिशा-निर्देशों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार शहरी कम्पोस्ट की बिक्री हेतु कम्पोस्ट विपणनकर्ता और कम्पोस्ट विनिर्माताओं को बाजार विकास सहायता (एमडीए) का भुगतान किये जाते हैं। कभी कभी कम्पोस्ट विपणनकर्ता और विनिर्माताओं से अपेक्षित दस्तावेजों की प्राप्ति में विलम्ब, अपर्याप्त बजट आवंटन आदि होता है जिसके कारण भुगतान की प्रक्रिया में प्रक्रियात्मक विलम्ब होता है। डीएसीएण्डएफडब्ल्यू ने सूचित किया है कि शहरी कम्पोस्ट के परीक्षण

हेतु विद्यमान प्रयोगशालाओं की क्षमता को बढ़ाने के लिए राज्य, डीएसीएण्डएफडब्ल्यू की विभिन्न स्कीमों के तहत उपलब्ध निधियों का उपयोग कर सकते है। इसके अतिरिक्त यह भी सूचित किया गया है कि राज्यों को जोनल सम्मेलनों में नमूना परीक्षण को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

3. उपर्युक्त सिफारिश 8, पैरा 3 के संबंध में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से इनपुट्स मांगे गए थे। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से उत्तर प्रतीक्षित है।''

समिति की आगे की टिप्पणी

(कृपया इस प्रतिवेदन की पैरा संख्या 1.16 देखें)

सिफारिश संख्या 10

<u>किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी)</u>

5.12 **"**समिति यह नोट करती है कि सरकार ने अक्टूबर 2016 से उर्वरकों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली की शुरूआत की है। उर्वरक डीबीटी प्रणाली के तहत खुदरा विक्रेताओं द्वारा लाभार्थियों को की गई वास्तविक बिक्री के आधार पर उर्वरक कंपनियों को विभिन्न उर्वरक ग्रेड पर शत प्रतिशत राजसहायता जारी की जाती है। किसानों/खरीदारों को सभी रियायती उर्वरकों की बिक्री प्रत्येक खुदरा विक्रेता की दुकान पर स्थापित प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) उपकरणों के माध्यम से की जाती है और लाभार्थियों की पहचान आधार कार्ड, केसीसी, मतदाता पहचान पत्र आदि के माध्यम से की जाती है। उर्वरक विभाग ने 1 मार्च, 2018 तक सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली को सफलतापूर्वक लागू कर दिया है। विभाग ने डीबीटी के कार्यान्वयन की विशेष रूप से निगरानी के लिए एक परियोजना निगरानी प्रकोष्ठ का भी गठन किया है। चल रही डीबीटी गतिविधियों के समन्वय के लिए सभी राज्यों में राज्य समन्वयक भी तैनात किए गए हैं। विभाग के अनुसार, विभाग विभिन्न हितधारकों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर प्रणाली में सुधार के लिए लगातार प्रयास कर रहा है जिसमें डीबीटी डैशबोर्ड का विकास, पीओएस 3.0 सॉफ्टवेयर का विकास, डेस्कटॉप पीओएस संस्करण का विकास, पीओएस सॉफ्टवेयर 3.1 संस्करण जिसे कोविड-19 महामारी के मद्देनजर संपर्क रहित ओटीपी आधारित आधार प्रमाणीकरण और एसएमएस गेटवे के साथ एसएमएस किसानों को एसएमएस भेजने के लिए 30 सितम्बर, 2020 को शुरू किया गया था। समिति को यह बताया गया है कि डीबीटी के फेज-2 में किसानों के खातों में कैश ट्रांसफर की व्यवहार्यता का पता लगाया जाएगा। प्रथम चरण के कार्यान्वयन के लिए एक मॉडल सुझाने के लिए उर्वरक विभाग के अनुरोध के अनुसार 28-09-2017 को नीति आयोग के तहत एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। किसानों को प्रत्यक्ष नकद हस्तातंरण की अवधारणा पर पीएमओ, कैबिनेट सचिवालय और नीति आयोग जैसे विभिन्न मंचों पर चर्चा चल रही है और प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण (डीसीटी) ढांचे की व्यापक रूपरेखा विकसित करने के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति गठित की गई जिसके तहत किसानों को डीसीटी लागू किया जा सकता है। जिसकी पिछली बैठक दिनांक 16.01.2020 को हुई है। समिति यह नोट करती है कि सचिवों की समिति ने उर्वरकों में प्रत्यक्ष नकद अंतरण को तैयार करने और लागू करने के लिए उर्वरक विभाग और डीएसीएफडबल्यू के सचिवों की सह-अध्यक्षता में एक नोडल समिति गठित करने की सिफारिश की है। तदनुसार, उर्वरक विभाग द्वारा एक नोडल समिति का गठन किया गया है और एक नोडल समिति की पहली और दूसरी बैठक क्रमश: 25-06-2020 और 28.10.2020 को आयोजित की गई थी। समिति की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है (पैरा 4.7)। विभाग ने एक 'चिंतन शिविर' का आयोजन किया था, जहां किसान नेताओं को भी इस पूरे मुद्दे पर बहस करने और चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया गया था जिससे योजना को शीघ्र लागू करने में मदद मिले। इस संबंध में समिति यह नोट

करती है कि वर्तमान में किसानों को डीसीटी से संबंधित अधिकांश मुद्दों पर सहमति नहीं बन पा रही है। यूरिया राजसहायता योजना के थर्ड पार्टी मूल्याकंन में यह सुझाव दिया गया है कि यह उपर्युक्त विकल्प नहीं होगा कि राजसहायता सीधे किसानों को खातों में ट्रांसफर की जाए क्योंकि किसानों हेतु डीबीटी एक जटिल प्रणाली है और वर्तमान नीति के अनुसार विनिर्माण/आयातक कंपनियों को राजसहायता राशि दी जानी चाहिए। समिति यह नोट करती है कि किसान को परिभाषित करना एक जटिल मुद्दा है। इसलिए किसानों की परिभाषा में संशोधन करने की सिफारिश की गई है, ताकि वास्तविक उत्पादकों/डीलरों को भी शामिल किया जा सके। यह केवल उर्वरकों के लिए राजसहायता का लाभ उठाने के लिए है न कि भूमि पर कोई दावा करने के लिए। यह डीसीटी योजना के बहुत ही बुनियादी उद्देश्य को पूरा करेगा। समिति का यह दृढ़ मत है कि इस योजना के वास्तविक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, किसानों/उत्पादकों/डीलरों के खाते को सीधे राजसहायता राशि के भुगतान के लिए डीसीटी योजना के कार्यान्वयन को आधार कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड और मृदा स्वास्थ्य कार्ड से जोड़कर उन्हें शीघ्र भुगतान किया जा सकता है जिससे सभी कमियों, यदि कोई हो, को दूर भी किया जा सकता है और दी जाने वाली राजसहायता की भी बचत हो सकती है। इसलिए समिति यह सिफारिश करती है कि विभाग इस संबंध में गठित नोडल समिति द्वारा बनाई गई नीति के अनुरूप किसानों/उत्पादकों को उर्वरक के प्रत्यक्ष-नकद अंतरण के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समन्वय और गंभीर प्रयास करे। समिति इस पर की गई कार्रवाई से अवगत होना चाहती है।''

सरकार का उत्तर

5.13 ''किसानों के लिए प्रत्यक्ष नकद अंतरण पर प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय तथा नीति आयोग जैसे विभिन्न मंचों पर विचार-विमर्श किया गया। डीसीटी फ्रेम वर्क की व्यापक रूपरेखा तैयार करने के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति गठित की गई जिसके तहत किसानों के लिये डीसीटी को कार्यान्वित किया जा सके। अंतिम बैठक 16.01.2020 को हुई। सीओएस ने अन्य बातों के साथ-साथ उर्वरकों में प्रत्यक्ष नकद अंतरण तैयार करने और उसे कार्यान्वित करने के लिए उर्वरक विभाग और कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के सचिवों की सह-अध्यक्षता में एक नोडल समिति का गठन करने की सिफारिश की। तदनुसार, उर्वरक विभाग के 01 जून, 2020 के कार्यालय ज्ञापन सं.15011/21/2019 द्वारा एक नोडल समिति का गठन किया गया जिसका कार्य किसानों के लिए उर्वरक राजसहायता के प्रत्यक्ष नकद अंतरण को कार्यान्वित करने के संबंध में नीति तैयार करना था। नोडल समिति की पहली बैठक 25.06.2020 को तथा दूसरी बैठक 28.10.2020 को वीडियो कांफ्रेस के माध्यम से आयोजित की गई। तथापि, किसानों के लिए उर्वरक राजसहायता के प्रत्यक्ष नकद अंतरण के कार्यान्वयन हेतु अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है।

इसके अतिरिक्त, उर्वरक विभाग ने दिनांक 04.05.2020 की अधिसूचना के माध्यम से किसानों को प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण करने (उद्योग के बजाए किसान के खाते में प्रत्यक्ष उर्वरक राजसहायता) के लिए माननीय रसायन और उर्वरक मंत्री की अध्यक्षता में चिंतन शिविर हेतु कार्य दल का गठन किया है। कार्य दल को किसानों को प्रत्यक्ष उर्वरक राजसहायता अंतरण की शुरुआत की व्यवहार्यता की जांच करने, भारी मूल्य वृद्धि तथा उर्वरकों की अनुपलब्धता के विरुद्ध सुरक्षा के उपाय सुझाने, किसानों के चयन और उनकी पात्रता के मानदंड सुझाने, किसानों के खातों में अंतरित की जाने वाली राजसहायता की राशि के निर्धारण हेतु मानदंड सुझाने, राजसहायता के अंतरण की आवधिकता सुझाने, उर्वरक उद्योग पर किसी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव के विरूद्ध सुरक्षा का कोई तरीका सुझाने तथा निधि अंतरण के लिये वास्तविक कार्यतंत्र सुझाने के कार्य सौंपे गए हैं। सभी हितधारकों के साथ चिंतन शिविर की पहली बैठक 18 मई, 2020 को आयोजित की गई थी और दूसरी बैठक 13 जुलाई, 2020 को आयोजित की गई थी। दिनांक 10 अगस्त, 2020 को किसानों के समूहों के साथ भी एक बैठक

आयोजित की गई थी तथा समूह की चौथी बैठक 08.09.2020 को आयोजित की गई। तथापि, किसानों के लिए उर्वरक राजसहायता के प्रत्यक्ष नकद अंतरण के कार्यान्वयन हेतु अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है।''

सिफारिश संख्या 14

सिटी कम्पोस्ट/जैविक या जैव उर्वरकों का उत्पादन करने वाली छोटी इकाइयों को प्रोत्साहन

5.14 **''**समिति यह नोट करती है कि सरकार रासायनिक उर्वरकों पर राजसहायता योजनाओं के लिए भारी मात्रा में धन खर्च कर रही है। यद्यपि रासायनिक उर्वरक बढ़ी हुई उपज के रूप में तत्काल परिणाम प्रदान करते हैं, लेकिन दीर्घकाल में उनके उपयोग से मृदा उर्वरता में कमी, भूजल के प्रदूषण आदि जैसे कई पर्यावरणीय खतरे हो जाते हैं। इसलिए, सिटी कम्पोस्ट/जैविक या जैव उर्वरकों के बड़े पैमाने पर उत्पादन को प्रोत्साहित करना बहुत आवश्यक है। इस संबंध में समिति सिफारिश करती है कि सरकार छोटी इकाइयों को प्रोत्साहित करे जो स्थानीय स्तर पर सिटी कम्पोस्ट/जैविक या जैव उर्वरकों का निर्माण कर सकती हैं और सरकार उन इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान कर सकती है ताकि ऐसी इकाइयों की स्थापना के लिए और अधिक लोगों को आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।''

सरकार का उत्तर

5.15 ''कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (डीएसीएण्डएफडब्ल्यू) पूंजीगत निवेश राजसहायता योजना (सीआईएसएस) कार्यान्वित कर रहा है, जिसके तहत 200 टन प्रतिवर्ष क्षमता की जैव-उर्वरक-जैव-कीटनाशक आधारित अत्याधुनिक लिक्विड/कैरिअर की स्थापना हेतु अनुदान उपलब्ध है। राज्य सरकार/सरकारी एजेसियों को 160.00 लाख रुपये यूनिट की अधिकतम सीमा तक 100% सहायता प्रदान की जाती है। इसी प्रकार, व्यक्तिगत/निजी एजेसियों को नाबार्ड के माध्यम से पूंजीगत निवेश के रूप में 40 लाख रुपए/यूनिट की लागत सीमा के 25% तक सहायता प्रदान की जाती है। शहरी कंपोस्ट के संबंध में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से इनपुटस मांगे गए थे। उनके उत्तर की प्रतीक्षा है।''

नई दिल्ली; **कनिमोझी करुणानिधि**
16 नवम्बर, 2021 **सभापति,**
25 कार्तिका**, 1943 (शक)** **रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति**

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति
(2021-2022) की प्रथम बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक मंगलवार, 16 नवम्बर, 2021 को 1500 बजे से 1700 बजे तक समिति कक्ष'बी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्रीमती कनिमोझी करूणानिधि - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री दिव्येन्दु अधिकारी
3. श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर
4. श्री कृपानाथ मल्लाह
5. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा
6. श्री सत्यदेव पचौरी
7. श्री अरुण कुमार सागर
8. श्री प्रदीप कुमार सिंह
9. श्री उदय प्रताप सिंह

राज्य सभा

10. श्री अयोध्या रामी रेड्डी आला
11. श्री जी.सी. चन्द्रशेखर
12. डॉ. अनिल जैन
13. श्री अंतियुर पी. सेल्वरासू
14. श्री अरुण सिंह

सचिवालय

1. श्री एन.के. झा - निदेशक
2. श्री सी. कल्याणसुन्दरम - अपर निदेशक
3. श्री कुलविन्दर सिंह - उप सचिव
4. श्री पन्ना लाल - अवर सचिव

2. सर्वप्रथम, सभापति ने सदस्यों का नवगठित समिति में स्वागत किया और उन्हें यह जानकारी दी कि इस बैठक का आयोजन वर्ष 2021-22 के दौरान जांच हेतु विषयों के चयन के संबंध में ज्ञापन संख्या-1 पर विचार करने तथा कार्यकाल के दौरान समिति की भावी कार्रवाई पर चर्चा करने के लिए किया गया है।

3. तत्पश्चात् समिति ने ज्ञापन संख्या-1 पर विचार किया और चर्चा के पश्चात् वर्ष 2021-22 के दौरान विस्तृत जांच हेतु रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय से जुड़े निम्नलिखित विषयों का चयन किया।

एक. <u>रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय</u> (उर्वरक विभाग)

1. सतत फसल उत्पादन और मृदा की गुणवत्ता को बनाए रखने हेतु नैनो उर्वरक
2. जीएसटी और आयात शुल्कों के संदर्भ में उर्वरक क्षेत्र से जुड़ी कर संरचना कच्चे माल और अंतिम उत्पादों की कर संरचना का विश्लेषण तथा आत्मनिर्भरता एवं उर्वरकों के उपयोग पर इसका प्रभाव
3. उर्वरकों का मूल्य, उपलब्धता और वितरण

दो. <u>रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय</u> (रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग)

4. विजन 2024– भारत को रसायनों और पेट्रो-रसायनों के अग्रणी विनिर्माता के रूप में स्थापित करना
5. कीटनाशक-सुरक्षित उपयोग सहित संवर्धन और विकास – कीटनाशकों हेतु लाइसेंस व्यवस्था
6. भोपाल गैस रिसाव स्थल से जहरीले कचरे का निपटान
7. पेट्रो-रसायन उत्पादों का पर्यावरणीय प्रभाव

तीन. <u>रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय</u> (औषध विभाग)

8. चिकित्सा उपकरण उद्योग को बढ़ावा
9. कोविड प्रबंधन हेतु दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता
10. प्रमुख प्रारंभिक सामग्री और मध्यवर्तियों की आत्मनिर्भरता

4. तत्पश्चात् समिति ने निम्नलिखित प्रारूप की गई कार्रवाई प्रतिवेदनों में किसी संशोधन/परिवर्तन के बिना एकमत से विचार किया और उसे स्वीकार किया:-

(एक) "बंद पड़ी और रुग्ण उर्वरक इकाइयों का पुनरुद्धार" (उर्वरक विभाग) संबंधी 18वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन;

(दो) XXX XXX

XXX

(तीन) XXX XXX
XXX

(चार) XXX XXX
XXX

(पांच) XXX XXX
XXX

(छह) XXX XXX
XXX

(सात) XXX XXX
XXX

5. समिति ने सभापति को की गई कार्रवाई प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने और आगामी सत्र में संसद में प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत भीकिया।

तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।